

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी वाहन उतारने के आदेश में ऐसे वाहन स्कैप डीलरो के नाम जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड है और साथ में दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पिछली बार की ड्राइव में उनके द्वारा प्राप्त किए/ उठाए गए वाहनों के पैसे अब तक उन पर बकाया है आखिर क्यों और किसकी मेहरबानी से जाने कितना न्यायप्रिय है यह आदेश जिसके जारी होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी आदेश जारी करने वाले के खिलाफ कार्यवाही के नहीं दिए आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपको जान कर अब हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि परिवहन विभाग के आला अधिकारी जो आदेश पारित करें खास तौर पर शहजाद आलम आईएसएस वह ही नियमानुसार माना जाना जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग से ट्रांसफर होने के आदेश के बाद भी दिल्ली की जनता के वाहनों को अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्कैप डीलरो को सुपुर्द करवाकर फायदा पहुंचाने का उद्देश्य उनका अभी तक खत्म नहीं हुआ।

आपकी जानकारी हेतु बता दें कि वाहन स्कैप डीलरो को आपके वाहन उठा कर शहजाद आलम के आदेश पर सुपुर्द किए जा रहे हैं उनमें से तीन वाहन स्कैप डीलरो द्वारा पिछली बार हुए ड्राइव में उठाए/ प्राप्त किए हुए वाहनों के पैसे आज तक नहीं दिए हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है की उनमें से 6 वाहन स्कैप डीलरो को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कारण:- उठाए हुए वाहनों के स्कैप संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए अर्थात वाहन स्कैप हुए या वापस बाजार में पहुंच गए इसका प्रमाण नहीं दे पाए।

सब कुछ जानते हुए भी शहजाद आलम द्वारा उन्होंने अपने प्रिय वाहन स्कैप डीलरो को दिल्ली की जनता के वाहन बेखोफ सुपुर्द करने के आदेश पारित किए और इसे हफ्ते की लिस्ट में भी उनके नाम शामिल रखवाए।



कितना न्यायिक आदेश है जिस पर परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली, मुख्य सचिव एम्प्रराज्यपाल दिल्ली तक टिप्पणी नहीं कर रहे। यहाँ आपकी जानकारी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में शहजाद आलम के खिलाफ चल रहे एक केस का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं अवश्य पढ़ें और जाने की क्यो हम बार बार उनके प्रिय स्कैप डीलर कहते हैं, नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में संपर्क सीएसएस(सी) 715/2024 महेश मलिक याचिकाकर्ता माध्यम से एम्एस।र सभी चोपड़ा, कु.

फ़िजा चोपड़ा, कु. सहर चोपड़ा, श्री. पुनित राठी एवं श्री. परीक्षित सिंह भाटी, अधिवक्ता। बनारस शहजाद आलम एवं अन्य। माध्यम से: प्रतिवादी श्री मोहित भारद्वाज, अधिवक्ता आर। के लिए। श्री तुषार त्यागी, अधिवक्ता आर। 2 और आर। 3 के लिए। चेहरा: HON'BLE MR. JUSTICE DHARMESH SHARMA आदेश 09.07.2024 1. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से पेश हुआ जा रहा है, जो स्कैप डीलर हैं और कथित

तौर पर इस न्यायालय के दिनांक 18.10.2023 के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। विद्वान वकील जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगते हैं। आज से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। 2. इस बीच, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को भी इस न्यायालय के समक्ष दिए गए और दिनांक 03.05.2024 के पिछले आदेश में विधिवत दर्ज किए गए बयानों को प्रमाणित करने के लिए एक उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। 3. 28.10.2024 को पुनः अधिसूचित करें। DHARMESH SHARMA, J.

हवा जहरीली होते ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-2 लागू, डीजल जनरेटर पर बैन; पार्किंग फीस बढ़ाने से लेकर पढ़ें CAQM के निर्देश



दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते GRAP का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर पर रोक लगाने समेत कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में अभी हवा की गुणवत्ता अभी और खराब होगी। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। जानिए GRAP के बारे में और दिल्ली में लागू प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेड 2 रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।

सर्दियों का मौसम आने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लग जाता है और वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। सोमवार को दिल्ली का दिनभर औसत एक्मआई 300 के लगभग रहा। इसके बाद शाम को 4 बजे एक्मआई 310 पहुंच गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अभी 300-400 के बीच ही रहेगा, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। ग्रेप का पहला चरण 14 अक्टूबर को लागू कर दिया था।

सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली-NCR को दिए गए निर्देश सड़कों पर पानी का छिड़काव करने को कहा। जहां धूल ज्यादा उड़ती हो, जहां ज्यादा ट्रैफिक लगता हो,

कूड़ाघरों के आसपास पानी का छिड़काव जरूर हो, ताकि धूल के कड़ों को हवा में जाने से रोका जा सके। धूल पर नियंत्रण के लिए निर्माण साइटों पर पानी का छिड़काव हो। पार्किंग फीस बढ़ाने को कहा, ताकि लोग सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। दिल्ली मेट्रो को फेरो को बढ़ाने का निर्देश दिया है। सीएनजी बसों की भी फेरों की संख्या बढ़ाने को कहा। औद्योगिक इकाइयों, सोसाइटियों में डीजल जनरेटर का न हो प्रयोग। लोगों को निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सर्दियों में सुरक्षा कर्मियों को वायो गैस या खुले में आग जलाने की जगह बिजली का हीटर दिया जाए।

AQI से वायु प्रदूषण का चलता है पता

वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंका जाता है। इससे वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। एक्मआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है।

चार चरणों में बांटा गया है ग्रेप

एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रेप-2 को चार चरणों में बांटा गया है। पहला चरण एक्मआई 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण एक्मआई 301-400 (बहुत खराब) होने पर, तीसरा चरण एक्मआई 401-450 (गंभीर) होने पर और चौथा चरण एक्मआई 450 से अधिक (गंभीर से ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है।

परिवहन विभाग द्वारा अधिकारियों की कार्य शैली के लिए जारी आज के आदेश

TRANSPORT DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI
ADMINISTRATION BRANCH
S/9 UNDERHILL ROAD, DELHI 54
F.8(13)/Adme./TPT/2021(P/156226
ORDER
Date: 21.10.2024

The following shall be work order with immediate effect:

#	Name	Designation	Work/ Branch Assignment
1	Sachin Shinde, IAS	Special Commissioner	• Operation • Enforcement (including Scrapping) • PCO & Air Pollution • STA (including ARU/TU and VLU) • Vigilance
2	Sanjiv K Mittal, IAS	Special Commissioner (Road Safety)	• Road Safety • Bus Transport (DTC/ Cluster/ Last Mile Connectivity/ Route Rationalisation/ related projects) • Planning & Finance • Administration • Caretaking & Estate Branch • IT (including Delhi Transport Stack) • Litigation, including Arbitration matters • Inter-Divisional Coordination (including Parliament Assembly questions) • IGL/ DMTS matters • MD DTDC • EV Cell (report direct to COT) • MRTS/ RRTS (report direct to COT) • ED DTDC
3	Dhole Kashinath DANICS	Deputy Commissioner	• Vigilance • Inter-Divisional Coordination (including Parliament Assembly questions) • PCMS, CPGRAMS, LIG Listing Post & Grievances Portal (independently) • RAU/ DRTI (independently) • Litigation, including Arbitration coordination, and other general matters* • CCTV cases
4	Sunil Sehgal, Adhoc DANICS	Deputy Commissioner	• Enforcement (including admin. of all Impounding Pits, and auctions therein) • Scrapping Cell • PCO & Air Pollution • Operation (including DTC Zones and DTC/HQ)
5	Kulbhushan Babbar, Adhoc DANICS	Deputy Commissioner	• Bus Transport (DTC/ Cluster/ Last Mile Connectivity/ Route Rationalisation/ related projects) • IGL/ DMTS • Dy. Secretary STA (including ARU/ TU)
6	Sanjay Atawadi, Ex-cadre	Deputy Commissioner	• Road Safety • Administration, including HOO charge • Caretaking & Estate
7	R. Ramasathan Ex-cadre	Deputy Commissioner	
8	Rakesh Sharma, Adhoc DANICS	Deputy Commissioner	
9	N. Sampath Nair, GDC	Deputy Commissioner	

Name Designation Work/ Branch Assignment

10 Sanjay K. Gautam Sr. System Analyst • IT (including Delhi Transport Stack, and all projects handled by NIC)
• Finance & Accounts

11 RK Reddy Dy. Controller of Accounts • Planning

12 Rajesh Meena AD (Planning) • Enforcement matters

13 Ashok Kausik Enforcement Officer (HQ)

14 Ashwani Pollution Control Officer (HQ) • Pollution Control matters

* Court cases/ Arbitration matters relating to a case will be dealt with by concerned branch only

The following link officer arrangement would prevail:

#	Name of the officer	Link Officer for
1	Sachin Shinde, IAS	S.No.2 & 7
2	Sanjiv K Mittal, IAS	S.No.1
3	Dhole Aam Kashinath Rao, DANICS	S.No.4
4	R. Ramasathan, DC (Ex-Cadre)	S.No.3
5	Sanjay Atawadi, DC (Ex-Cadre)	S.No.5
6	Kulbhushan Babbar, Adhoc DANICS	S.No.9
7	Rakesh Sharma, DC, Ad-hoc DANICS	As per need
8	N. Sampath Nair, DC (GDC)	S.No.9
9	Sunil Sehgal Ad-hoc DANICS	S.No.8

However, till such time that Mr. Sachin Shinde assumes charge as Special Commissioner (Tpt) all his charges shall continue to be looked after by Mr. Shahzad Alam, Special Commissioner (Tpt). Further, in compliance with Services order/ 334 dated 17.10.2024, Mr. Shahzad Alam shall stand relieved from the Transport Department only once Mr. Sachin Shinde assumes charge of Special Commissioner (Tpt), GNCTD.

This issues with the approval of the Principal Secretary & Commissioner Transport GNCTD.

Deputy Commissioner

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Minister of Transport

2. PS to Principal Secretary cum Commissioner Transport Department, GNCTD

3. PA to both Special Commissioner Transport Department, GNCTD

4. All Deputy Commissioners Transport Department, GNCTD

5. All District Transport Officers Transport Department, GNCTD

6. Sr. System Analyst, Computer Branch, Transport Department, GNCTD for uploading on Transport Department website.

Deputy Commissioner

दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से की ये अपील

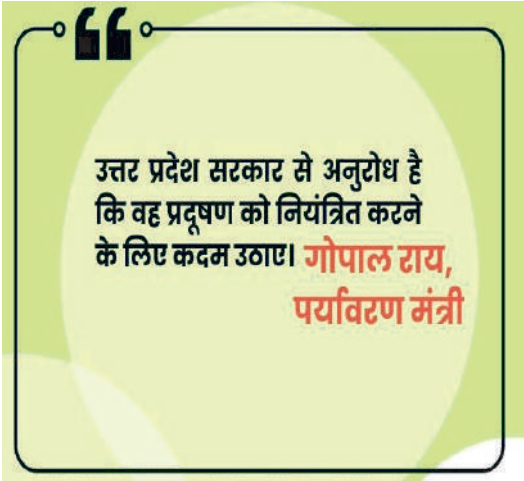
दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नागरिकों से रेड लाइट पर प्रतीक्षा करते समय अपने वाहन के इंजन को बंद करने का आग्रह किया। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण को कम करना है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान शुरू किया।

मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की आईटीओ चौराहे पर शुरू हुए इस अभियान में शामिल वालेंटियर्स ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जैसे संदेश लिखी हुई तख्तियां थामी हुई थीं। मंत्री ने नागरिकों से प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट लाइट पर प्रतीक्षा करते समय अपने वाहन के इंजन को बंद करने का आग्रह किया। अभियान के अवसर पर मंत्री ने ऑटो चालकों को गुलाब भी बांटे।

इस मौके पर राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अंदर होने वाले प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण को भी झेलना पड़ता है, जो कि दिल्ली के प्रदूषण से दोगुना होता है।

बसें फैला रही है प्रदूषण



उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आनंद विहार में उत्तर प्रदेश से आने वाली हजारों डीजल की बसें प्रदूषण फैला रही हैं। लगातार हो रही हैं पराली जलाने वाली घटनाएं

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। मंत्री ने दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी को



सरकार के प्रयासों के कारण पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रयास नहीं कर रही हैं और वहां पर पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

चौराहे पर रुकने के दौरान गाड़ी ऑफ कर दें मंत्री ने बताया कि यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में अपनी गाड़ी लेकर निकलता है तो वापस पर पहुंचने तक लगभग 8 से 10 रेड लाइट पर रुकता है।

यदि वह दो मिनट एक चौराहे पर रुकता है और अपनी गाड़ी को ऑफ नहीं करता है तो वह 25 से 30 मिनट अपने गाड़ी के ईंधन को व्यर्थ में जलाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस नजरिए को बदलने की जरूरत है।

कहा कि हमारा यह पूरा अभियान इसी बात को लेकर है कि हम रेड लाइट पर अपने वाहन को बंद करना अपनी आदत में ले आए। यह अभियान पहली बार 16 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था एक महीने तक चलेगा।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlansanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

शहर हमारा, जिम्मेदारी हमारी: फरीदाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने की सामूहिक पहल

अंकुर शरण

हरियाणा चुनाव के बाद फरीदाबाद के नागरिक नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) से बड़े सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। एमसीएफ वार्ड समिति के सदस्य, स्थानीय निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) और सक्रिय स्वयंसेवक मिलकर फरीदाबाद के बेहतर विकास के लिए नई योजनाओं और गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। एमसीएफ कमिश्नर को भेजे गए सुझावों में कुछ तात्कालिक कदम और रोकथाम उपाय शामिल हैं, जो शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी हैं।

स्ट्रीट लाइट रखरखाव:
सभी सेक्टरों में स्थित स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द मरम्मत करके चालू हालत में रखा जाना चाहिए ताकि उचित रोशनी सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा में सुधार हो सके।

सार्वजनिक शौचालयों का

रखरखाव:

सार्वजनिक शौचालयों को नियमित रूप से साफ और कार्यशील रखना अनिवार्य है ताकि निवासियों और आगंतुकों के लिए स्वच्छता और सुलभता सुनिश्चित हो सके।

पेड़ काटने और कचरा निपटान:

एमसीएफ उद्यान विभाग को उचित निगरानी में पेड़ों को छांटते करनी चाहिए। कटे हुए पेड़ों के अवशेषों को तुरंत एकत्र करके उनका निपटान करना चाहिए ताकि सफाई बनी रहे और किसी भी प्रकार की रुकावट न हो।

नियमित प्रवर्तन जांच:

एमसीएफ प्रवर्तन एजेंसियों को आसपास के क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करना चाहिए ताकि अवैध अतिक्रमण को रोका जा सके, जो बाजार क्षेत्र में विशेष रूप से कानून व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करते हैं।



पशु नियंत्रण उपाय:

आवारा पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण

और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए समय पर

बंधाकरण और टीकाकरण के लिए एक

पशु देखभाल टीम तैनात की जानी चाहिए।

ये उपाय फरीदाबाद में रहने की स्थिति,

सुरक्षा और समग्र स्वच्छता को सुधारने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। सप्रिंगफील्ड फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र, जैसे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, सेक्टर 30-31, में स्थानीय निवासी कल्याण संघ और सक्रिय स्वयंसेवक एमसीएफ वार्ड समिति के सदस्यों के साथ मिलकर इस रूपरेखा को लागू कराने के लिए एमसीएफ कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को मदद ले रहे हैं।

फरीदाबाद के सेक्टर 31 के टाउन पार्क के उचित निरीक्षण और रखरखाव के लिए पहले से ही उपायुक्त कार्यालय ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पिछले छह महीनों में सप्रिंगफील्ड और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास बंगाल शूटिंग चौक के नजदीक स्थित ग्रीन बेल्ट का व्यापक रूप से सुधार किया गया है। इस क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वच्छ

और स्वस्थ वातावरण मिल सके।

ग्रीन बेल्ट की इस मेगा ट्रांसफॉर्मेशन से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ शहर की सुंदरता में भी वृद्धि हुई है। स्थानीय प्रशासन को देखरेख में नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और पौधारोपण की गतिविधियाँ भी तेज गति से जारी हैं। इसके साथ ही, टाउन पार्क में नियमित रखरखाव और निरीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि यह क्षेत्र निवासियों के लिए एक आकर्षक और सुलभ स्थल बना रहे।

इन प्रयासों से फरीदाबाद के हरित क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो शहर के विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। फरीदाबाद के नागरिकों से अपील की जाती है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें ताकि शहर का विकास बेहतर ढंग से हो सके।

रोड सेफ्टी स्कवाड: बच्चों और युवाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रोड सेफ्टी स्कवाड के अंतर्गत बच्चों और युवाओं को शामिल करना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल उन्हें रचनात्मक तरीकों से सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाएगा, बल्कि उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस लेख में, हम कुछ बेहतरीन तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जिनका उपयोग करके बच्चे और युवा सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बना सकते हैं और सड़क पर जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं।

1. सड़क सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता

बच्चों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के विषय पर पोस्टर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन पोस्टरों में जैसे हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग, तेज गति से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने जैसे संदेश शामिल हो सकते हैं। इन पोस्टरों को स्कूलों, पार्कों, और सामुदायिक केंद्रों में प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। यह गतिविधि बच्चों को रचनात्मकता के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के नियमों को भी समझने में मदद करेगी।

2. रोल प्ले और नाट्य प्रस्तुतियाँ

बच्चों के लिए रोल प्ले या नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा सकता है, जिनमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अभिनय किया जाए। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक सिग्नल का महत्व, हेलमेट का उपयोग, और जेब्रा क्रॉसिंग का सही



तरीका। इस प्रकार के नाटक न केवल मनोरंजन प्रदान करेंगे, बल्कि लोगों को जागरूक भी करेंगे। इन कार्यक्रमों को स्थानीय समुदाय में प्रस्तुत करके अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया जा सकता है।

3. डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

आज की पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से जुड़ी हुई है, इसलिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बच्चे और युवा सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। वे छोटे वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, और लेख बनाकर साझा कर सकते हैं, जिनमें सड़क सुरक्षा के नियमों और उपायों की जानकारी दी जा सकती है। इससे उनकी ऑनलाइन उपस्थिति भी बढ़ेगी और संदेश अधिक लोगों तक पहुंचेगा।

4. अभिभावकों पर नजर रखना

बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे अपने माता-पिता को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता-पिता सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं या हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे उन्हें याद दिला सकते हैं। यह न केवल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि बच्चों को जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाएगा और अभिभावकों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

5. रोड सेफ्टी क्विज और कार्यशालाएं

स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में रोड सेफ्टी क्विज और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है, जहां बच्चों और युवाओं को सड़क सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न जानकारी के बारे में बताया

जाए। इन कार्यशालाओं में ट्रैफिक नियमों के महत्व, दुर्घटनाओं के कारणों, और सड़क सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की जा सकती है। इससे बच्चों और युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे।

6. साइकिल और पैदल यात्री सुरक्षा अभियान

बच्चों और युवाओं के लिए साइकिल और पैदल यात्री सुरक्षा अभियान आयोजित किया जा सकता है, जिसमें वे साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनने और सही लेन का उपयोग करने के महत्व को समझें। इसके साथ ही, पैदल चलते समय जेब्रा क्रॉसिंग का सही तरीके से उपयोग और सड़क पार करने के नियमों का पालन करना भी सिखाया जा

सकता है।

7. विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों की पहचान और उनका महत्व

बच्चों को विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों और उनके महत्व के बारे में सिखाना आवश्यक है, जैसे लात, पीला और हरा सिग्नल का मतलब। इसके लिए ट्रैफिक पार्कों में शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है, जहां बच्चे व्यावहारिक रूप से सिग्नल और ट्रैफिक नियमों के महत्व को समझ सकें।

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ज्ञान साझा करके और मेगा जागरूकता अभियान चलाकर एक सुंदर मिसाल कायम की है, जिसमें रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन ने भी हर संभव तरीके से सहयोग दिया है। लेकिन ऐसे अभियान तभी सफल होते हैं जब

सभी सदस्य और प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि वे सड़क सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं और नियमों का पालन करें। आइए, हम सब मिलकर सुरक्षित यात्रा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और एक जागरूक समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और युवाओं को शामिल करना एक उत्कृष्ट कदम है। वे न केवल खुद जागरूक होंगे, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बना सकते हैं। ऊपर बताई गई तकनीकों के माध्यम से एक स्वस्थ और प्रभावी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा सकता है, जो न केवल बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देगा बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगा।

परिश्रम करना पड़ता है

तप-तप कर सोना बनता है,
तपन जीवन के संघर्षों की कहानी है
सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती,
सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है।

जिन्दगी इम्तिहानों की उलझनों का नाम है,
मेहनत करने वालों के दिलों में रहती हैं
संघर्ष सफलता की कहानी है,
सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है।

हर दौर में हार व जीत संग-संग रहती है,
लाख तकलीफों में जो हार ना माने।
जीत उसी इंसान की होती है,
इसलिए सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ॥



हरिहर सिंह चौहान
जबरी बाग नरिया इन्दौर
मध्यप्रदेश 452001
मोबाइल 9826084157

यथाओं को तुम यूँ ही बांधे रखना

अपनी यथाओं को तुम यूँ ही बांधे रखना,
व्योंकि क्रोध सत्यम है इम्तिहान ले रहा है।
कुछ अनसुनी सी बातें भी वह कह रहा है।
इतना आसान नहीं है लाखों को भूला पाना।
यादों के शूल चुभ रहे उनके आने का वक्त है।
नहीं है मीठी बहुत-सी यादें वह कमबख्त है।

अपनी यथाओं को तुम यूँ ही बांधे रखना,
व्योंकि क्रोध सत्यम है इम्तिहान ले रहा है।
मेरे आस-पास तो झूठ, फरेबी से दरख्त है।
यह सच है कि आदमी, आदमी में फर्क तो है।
क्रोध तो हरदम रक्तरंजित होने को कह रहा है।
वक्त भी अपने बहाव में पानी-सा बह रहा है।

अपनी यथाओं को तुम यूँ ही बांधे रखना,
व्योंकि क्रोध सत्यम है इम्तिहान ले रहा है।
रुक मत मोना का पाया,भास्कर का साया है।
जब साथ हो नक्षत्र ये धनंजय की भी माया है।
इस जमाने की ठोकरें प्रेरित करती ही रहेगी।

अपनी यथाओं को तुम यूँ ही बांधे रखना,
व्योंकि क्रोध सत्यम है इम्तिहान ले रहा है।
हा, याद रख नर्तक है तू बिन पायल के भी,
इन घुंघरूओं की छन-छन भी खनकती रहेगी।
हम हैं तेरे साथ ये जिंदगी यूँ ही महकती रहेगी।

संजय एम. तराणेकर

करवा चौथ पर बिके 3300 करोड़ के गहने...

करवा चौथ पर पति अक्सर पत्नी को आभूषण का उपहार देते हैं। यह परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है और अब जोर भी पकड़ रही है। इसका असर जेवरात की बिक्री के आंकड़ों पर भी देखने को मिला है। करवा चौथ 2024 पर ज्वैलरी इंडस्ट्री ने देशभर में 3300 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया। आइए जानते हैं आभूषण की बिक्री का पूरा लेखाजोखा।

नई दिल्ली। करवा चौथ त्योहार की रविवार को काफी धूम रही। देश के उत्तरी हिस्से में विवाहित स्त्रियों ने बड़े उल्लास मनाया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान आभूषण की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला, जिससे करवा चौथ के बढ़ते महत्व और उपभोक्ताओं की आभूषणों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी का पता चलता है।

कितने आभूषणों की बिक्री हुई

अखिल भारतीय ज्वैलर्स एवं स्वर्णकार महासंघ के मुताबिक,

करवा चौथ 2024 पर ज्वैलरी इंडस्ट्री ने देशभर में 3300 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया। फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा, रद्दस साल करवा चौथ पर आभूषण खरीददारी के आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं। हल्के और ट्रेंडी डिजाइन के मंगलसूत्रों ने स्पष्ट रूप से बाजार में एक नया रुझान स्थापित किया है।

इससे संकेत मिलता है कि उपभोक्ता अब ऐसे आभूषणों की तलाश में हैं जो न केवल पारंपरिक हों, बल्कि रोजाना पहनने में भी आरामदायक और आकर्षक दिखें।

किन ज्वैलरी की रही डिमांड

इस साल बाजार में हल्के वजन के मंगलसूत्रों की मांग सबसे अधिक रही। इससे लगभग 1000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। हल्के और आधुनिक डिजाइन के मंगलसूत्रों को खासकर नई उम्र की महिलाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। मंगलसूत्रों के बाद सबसे ज्यादा मांग रिंग्स की देखी गई, जो उपभोक्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय विकल्प बनी रहीं।

कितना है सोने का भाव



सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार तेजी को देखने को मिल रही है और यह अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट का सोना फिलहाल 79,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और परिचयी एशिया में तनाव के चलते सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आ रहा है।

चांदी की कीमतों में भी तेजी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों ने तूफानी रफ्तार पकड़ रखी है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखा जा रहा है। भारत में भी चांदी लखटजकिया बन गई है। चांदी फिलहाल 1,01,000 रुपये प्रति किलो है। चांदी का गहनों के साथ औद्योगिक इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। इससे डिमांड और कीमत, दोनों में तेजी आ रही है।

क्या होता है करवा चौथ
करवा चौथ महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। इस दिन पति भी अपनी पत्नी को जेवरात और कपड़ों का उपहार देते हैं।



तुलसी का भारतीय संस्कृति और आधुनिक में विशेष स्थान है। इसे रजड़ी-बूटियों की रानी कहा जाता है और यह न केवल धार्मिक आस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही तुलसी का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाता रहा है।

स्वास्थ्य के लिए तुलसी के लाभ
तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी का सेवन करने से शरीर में तनाव कम होता है और मन



को शांति मिलती है। यह पाचन तंत्र को सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक होती है।

पर्यावरण के लिए तुलसी का महत्व

तुलसी का पौधा पर्यावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वातावरण से हानिकारक गैसों को अवशोषित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। घर के आसपास तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण शुद्ध रहता है। तुलसी के पौधे की पत्तियाँ मच्छरों को भगाने का प्राकृतिक उपाय भी मानी जाती हैं।



धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व
भारतीय संस्कृति में तुलसी का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे पवित्र माना जाता है और घरों के आंगन में इसकी पूजा की जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी के पत्तों का उपयोग शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है।

तुलसी का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध रखने में मदद करती है। हमें अधिक से अधिक तुलसी के पौधे लगाने चाहिए और इसके औषधीय गुणों का लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम एक स्वस्थ और स्वच्छ

वातावरण में जीवन जी सकें।

1. वेदों में तुलसी का उल्लेख:

वेदों में तुलसी को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। अथर्ववेद में तुलसी के औषधीय और आध्यात्मिक गुणों का उल्लेख मिलता है। इसे एक पवित्र और जीवनदायिनी जड़ी-बूटी के रूप में वर्णित किया गया है, जो लोगों को दूर करने और जीवन को स्वस्थ बनाने में सहायक है।

2. तुलसी श्लोक और उनका अर्थ:

तुलसी श्रीमहालक्ष्मीः विद्या लक्ष्मीः यशस्विनी। धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनः प्रिया।।



तुलसी माता को महालक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और यशस्विनी के रूप में पूजा जाता है। वे धर्म का प्रतीक हैं और देवी-देवताओं की प्रिय हैं। तुलसी का पूजन करने से धर्म, लक्ष्मी और विद्या की प्राप्ति होती है।

नमस्तुलसि कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे। नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्तदायिनि।।

तुलसी को सागर से उत्पन्न माना गया है और वे भगवान विष्णु के द्वारा धारण की गई हैं। नारद मुनि ने भी उनकी महिमा का गुणगान किया है। तुलसी पुण्य और ऐश्वर्य की दात्री हैं, जो मनुष्यों के जीवन को धन्य बना देती हैं।

3. तुलसी का धार्मिक महत्व:

तुलसी का धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे भगवान विष्णु की प्रिय माता जानी है और इसकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा में अनिवार्य माना जाता है, खासकर भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में।

इन श्लोकों और वेदों के अनुसार, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि जीवन की सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता, और आध्यात्मिकता का प्रतीक है।

पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से हम सभी को तुलसी जैसे पौधों का महत्व समझना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

indiangreennbuddy@gmail.com

कैसे खत्म होगी दिल्ली की सड़कों से धूल! 224 मशीनों की है जरूरत लेकिन 52 से ही चल रहा है काम

दिल्ली की सड़कों से धूल को कैसे खत्म किया जाए यह एक बड़ी चुनौती है। एमसीडी के पास संसाधनों की कमी के कारण केवल 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें हैं जबकि 224 मशीनों की आवश्यकता है। इस लेख में हम दिल्ली में धूल प्रदूषण की समस्या एमसीडी की चुनौतियों और धूल नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण के कारण सांसों पर संकट गहराता जा रहा है, लेकिन 1397.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दिल्ली में एमसीडी के कार्यक्षेत्र में धूल के प्रदूषण को रोकथाम के लिए एमसीडी के पास संसाधनों की भारी कमी है। एमसीडी के पास 55 हजार सफाई कर्मी तो हैं, लेकिन धूल न उड़े इसके लिए एमसीडी के पास सड़कों की सफाई के लिए जरूरी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की संख्या काफी कम है। दिल्ली में एमसीडी इलाके में 60 फिट से चौड़ी सड़कों पर प्रतिदिन सफाई के लिए 224 मशीनों की जरूरत हैं, लेकिन उसके पास केवल 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) हैं। इन मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए निगम ने डेढ़ साल पहले कोशिश की थी लेकिन स्थायी समिति न होने की वजह से अधर में लटक का है।

आखिरी बार मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी

एमसीडी के पूर्वकालिक तीनों निगमों ने आखिरी बार मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी थी। इसमें पूर्वी दिल्ली में 10 तो उत्तरी दिल्ली में 18 और दक्षिणी दिल्ली में 24 मशीनें थी। निगम का एकीकरण मई 2022 में हो गया। इसके बाद से कोई मशीनें निगम के बडे़ में शामिल नहीं हुई हैं। निगम 1,400 किलोमीटर लंबी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों पर

वैकल्पिक तौर पर सफाई करता है।

सफाई के लिए 48 और मशीनों की आवश्यकता

इसका रूट प्लान अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है। जहां जीपीएस लोकेशन के जरिये नागरिक इसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन बीते दो माह से वह पोर्टल भी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। निगम के एक अधिकारी ने नाम बताया कि हमारे पास 52 मशीनें हैं अगर सभी मार्गों की एक दिन छोड़कर हम सफाई इन मशीनों से करें तो हमें 48 और मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन जो मशीनें हैं हम उन्हीं से काम कर रहे हैं।

नियमित तौर पर सफाई के लिए 224 मशीनों की जरूरत

हमारी कोशिश रहती है कि जिन सड़कों से ज्यादा यातायात गुजरता है, वहां पर इन मशीनों का उपयोग किया जाए। जिन सड़कों पर यातायात कम रहता है वहां पर हम दो दिन बाद भी सफाई करते हैं। इन मशीनों का उपयोग इसलिए भी होता है कि वाहनों के टायरों के जरिये सड़क पर जो धूल आती है, वह साफ हो जाए। अगर, हमें नियमित तौर पर सफाई करनी है तो 224 मशीनों की आवश्यकता है।

सूत्र बताते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएन्यूएम) की बीते दिनों हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठा साथ ही एमसीडी से इस पर जवाब मांगा गया है कि उसके पास पर्याप्त मशीनें क्यों नहीं है।

ठंडे बरतों में पड़ा है सड़कों की धुलाई और सफाई का काम

एमसीडी में जब आप की सरकार आ गई तो निगम की फंड की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने 60 फिट से चौड़ी सड़कों की न केवल सफाई और धुलाई का कार्य भी अपने अधीन करने का निर्णय लिया था। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इस संबंध में मंजूरी भी दी थी। इसमें 70



मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीदने के साथ एंटी स्मॉग गन व वाटर स्प्रिंकलर खरीदने की बात थी। चूंकि यह कार्य निगम से जुड़ा हुआ था तो निगम से इसकी मंजूरी मांगी गई। इस पर निगम ने अपनी आपत्ति जता दी थी।

निगम ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि दिल्ली में सफाई का कार्य उसके मूल कार्यों से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके प्रस्ताव पास भी हो गया था। पर तकनीकी खामि की वजह से पीडब्ल्यूडी ने यह प्रस्ताव वापस ले लिया और एमसीडी को ही यह कार्य कराने की बात कही। एमसीडी ने पुनः यह प्रस्ताव पास कर दिया। इसमें 1230 करोड़ की लागत से 10 वर्ष का कार्य सफाई और धुलाई का था। इसमें 61.5 करोड़ की लागत से सलाहकार की नियुक्ति की जानी थी। जो यह पूरा प्लान बनाकर देगा कि कैसे सफाई होगी और क्या क्या मशीनरी की जरूरत हैं। इसका सारा खर्च दिल्ली

सरकार ने उठाने की सहमति दी थी।

पैसे की नहीं है कमी लेकिन प्रस्ताव को है मंजूरी का इंतजार

एमसीडी के पास मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीदने के लिए फंड की कमी नहीं है लेकिन प्रशासनिक फेर में यह मशीनें निगम खरीद नहीं पा रहा है। हालांकि निगम के पास इसके लिए फंड की कमी नहीं है। निगम अधिकारियों के अनुसार केंद्र से 35 करोड़ की राशि 2022 में मिली थी। इसमें 11 करोड़ रुपये की राशि निगम ने सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च कर दी है। जबकि शेष राशि से 18 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने की निविदा डेढ़ साल से निगम कर चुका है लेकिन पांच करोड़ से अधिक की राशि होने पर स्थायी समिति की मंजूरी की आवश्यकता है। इसलिए यह कार्य नहीं हो पा रहा है।

एक मशीन के संचालन में खर्च होता है

चार लाख रुपये माह

एमसीडी के अनुसार एक मशीन प्रतिदिन औसतन 35 किलोमीटर संचालित होती है। एक मशीन के ईंधन से लेकर उसकी मरम्मत और ड्राइवर के वेतन समेत अन्य खर्च चार लाख रुपये प्रतिमाह है। यह मशीन प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन मिट्टी सड़कों से साफ करती है। इस मिट्टी को ओखला के साथ ही भलस्वा और शास्त्री नगर निर्माण एवं विध्वंस कचरे के निस्तारण साइट पर निस्तारित करता है।

झाड़ू से सड़कों पर उड़ती है धूल, नहीं हैं कोई मशीनरी

दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के स्वामित्व वाली सड़कों पर तो एमसीडी सड़कों की सफाई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से सफाई करता है लेकिन 60 फिट से छोटी सड़कों से सफाई और कॉलोनीयों की सफाई के लिए एमसीडी के पास

कोई मशीनरी नहीं है। एमसीडी इन सड़कों और गलियों पर सफाई पर केवल सफाई कर्मचारी ही सहारा है। जो कि झाड़ू से सड़कों की सफाई करते हैं।

इस दौरान झाड़ू से धूल का गुबार सड़कों पर छा जाता है। जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक होता है। निगम अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर खड़े वाहनों और फुटपाथ पर कब्जे के साथ मशीनरी का उपयोग बहुत कठिन है। जब-जब सफाई की कोशिश होती है या लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने की कोशिश होती है तो वह भी प्रभावशाली लोगों के चलते में लागू नहीं हो पाता है। जबकि एमसीडी की रिहायशी कॉलोनीयों की सड़कों की लंबाई 15 हजार किलोमीटर से ज्यादा है।

52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन एमसीडी के पास है।

10 मशीनें पूर्वी दिल्ली में संचालित होती है। 18 मशीनें उत्तरी दिल्ली में संचालित होती है। 24 मशीनें दक्षिणी दिल्ली में संचालित होती है। 18 मशीनों की खरीद की प्रक्रिया स्थायी समिति की मंजूरी न होने की वजह से लंबित है। 35 किलोमीटर औसतन एक मशीन प्रतिदिन संचालित होती है।

52 मशीनों से एक दिन छोड़कर निगम पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई करता है।

48 मशीनों की आवश्यकता वैकल्पिक तौर पर पीडब्ल्यूडी सड़कों की सफाई करने के लिए हैं जरूरत।

224 मशीनों से ही संभव है प्रतिदिन पीडब्ल्यूडी रोड की मशीनों से सफाई। 1230 करोड़ की राशि से दस साल तक पीडब्ल्यूडी सड़कों की सफाई और धुलाई का प्रस्ताव पड़ा है ठंडे बरतों में।

ASI पुराना किला में खोदाई के लिए तकनीक बदलने की तैयारी में, लिडार सर्वेक्षण से होगी इंद्रप्रस्थ की खोज

परिवहन विशेष न्यूज

पुराना किला में छठी बार पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ को खोजने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इस बार तकनीक बदलने की तैयारी में है। इस बार खोदाई शुरू करने से पहले लिडार सर्वेक्षण का सहारा लिया जाएगा ताकि जमीन में दबे अवशेषों तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस खोदाई के माध्यम से छठी बाद पुराने किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ढूंढी।

नई दिल्ली। पुराना किला में इस बार खोदाई के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तकनीक बदलने की तैयारी में है। अगले माह की शुरुआत से पुराना किला में फिर खोदाई शुरू होगी, एएसआई इसकी तैयारी में जुटा है।

इस बार खोदाई के लिए इस कार्य को शुरू करने से पहले लिडार सर्वेक्षण का सहारा लेने पर विचार किया जा रहा है। ताकि जमीन में दबे अवशेषों तक आसानी से पहुंचा जा सके। इस खोदाई के माध्यम से छठी बाद पुराने किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ढूंढी। इसके लिए आजादी के बाद से अब तक पांच बार खोदाई हो चुकी है। मगर उस नगरी के प्रमाण नहीं मिल सके हैं जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है।

वसंत स्वर्णकार ने खोदाई की योजना बनाई

पुराना किला में इंद्रप्रस्थ ढूढने के प्रयास की बात करते तो आजादी के बाद सबसे पहले 1954-55 और

इसके बाद 1969-70, 71, 72 से 73 तक एएसआई के पूर्व महानिदेशक पद्मभूषण प्रो बी बी, बी के थापर, एमसी जोशी ने खोदाई कराई थी। इसके बाद 2013 में उस समय के एएसआई के दिल्ली मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ वसंत स्वर्णकार ने इसके बाद यहां खोदाई कराने की योजना बनाई।

उन्होंने खोदाई शुरू कराई जो 2015 तक चली। उन्होंने प्रो लाल से अलग स्थान पर शेर मंडल के पीछे किला परिसर में ही पीछे की तरफ निचले भाग में गए और 10 मीटर गहराई तक खोदाई कराई। इसके बाद 2017 में फिर से उसी ट्रेंच को खोला गया और खोदाई 2018 तक चली। इसमें उन्हीं ट्रेंच (गड्ढों) में पांच मीटर गहराई तक खोदाई हुई।

खोदाई में मिले मृदभांड को महाभारत काल का

इसके बाद यहां 2022 में कुंती मंदिर स्थल के पास नया ट्रेंच बनाया गया। उस साल जनवरी से जून तक खोदाई हुई। जिसमें 5.50 मीटर की गहराई तक खोदाई की जा चुकी है। यहां पर उत्खनन के दौरान पूर्व मौर्य काल, मौर्य काल, शुंग, कुषाण काल, गुप्त, उत्तर गुप्त, राजपूत काल, सल्तनत और मुगल काल और ब्रिटिश काल के काफी अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान कि चित्रित मृदभांड मिले हैं, जिन्हें महाभारत कालीन माना जाता है। मगर इंद्रप्रस्थ को लेकर अभी तक कोई ऐसी मजबूत प्रमाण नहीं मिल सका है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले थम नहीं रही भाजपा नेताओं की लड़ाई, जिलों और मंडलों में बढ़ रही गुटबाजी

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के बीच गुटबाजी तेज हो गई है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में सांसद योगेंद्र चांदेलिया और पूर्व महापौर मास्टर आजाद सिंह के बीच चल रही लड़ाई पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। दोनों नेताओं के बीच विवाद लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू हो गया था। अब मास्टर आजाद सिंह ने सांसद को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चार माह से कम समय रह गए हैं, परंतु भाजपा नेताओं की लड़ाई नहीं थम रही है। कई जिलों और मंडलों में गुटबाजी बढ़ रही है। बडे़ नेताओं की आपसी लड़ाई से भी कार्यकर्ता निराश हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में है। यहां के सांसद और प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चांदेलिया और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के छोटे भाई और पूर्व महापौर मास्टर आजाद सिंह के बीच लड़ाई पार्टी के लिए चिंता की बात है।

दोनों के बीच विवाद लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू हो गया था। चांदेलिया ने मास्टर आजाद सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज के साथ मंच साझा करने का आरोप लगाया था।



उसके बाद से दोनों के बीच मतभेद की बात सामने रही आती है। पिछले माह से यह लड़ाई अधिक बढ़ गई है। 18 सितंबर को सांसद के साथ उपराज्यपाल ने मुंडका क्षेत्र में जर्जर सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे थे।

राष्ट्रीय नेतृत्व से भी लिखित शिकायत की गई



उनके सामने कुछ लोगों ने नारेबाजी कर दी थी। सांसद ने आजाद सिंह पर नारेबाजी कराने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इससे संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आजाद सिंह ने मुंडका में पंचायत कर सांसद पर तथ्यहीन आरोप लगाकर छवि धूमिल करने व अपमानित करने की बात कही

थी। उनके समर्थकों ने कहा था कि यदि सांसद अपने बयान पर क्षमा नहीं मांगेंगे तो इस मामले को दिल्ली देहात के लोगों के बीच लेकर जाएंगे। प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व से भी लिखित शिकायत की गई।

लोकसभा चुनाव के दौरान लगाए थे झूठे आरोप

अब उन्होंने सांसद को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय यी उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे। जिस कार्यक्रम की बात की जा रही है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था। युवा संगठन ग्राम सभा 360 द्वारा आयोजित महापंचायत में वह शामिल हुए थे। चांदेलिया सहित अन्य प्रत्याशियों को भी उसमें बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए और बाद में दुष्प्रचार शुरू कर दिया। इस संबंध में सांसद का कहना है कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है।

दोनों नेताओं के बीच लड़ाई से कार्यकर्ता निराश हैं। उनका कहना है कि यदि पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली देहात में जाटों की अच्छी संख्या है।

दिल्ली महिला आयोग ने अपने सभी संविदा कर्मियों को हटाया, सहायक सचिव ने जारी किया आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने अपने सभी संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। डीसीडब्ल्यू के सहायक सचिव ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है। दिल्ली एलजी की मंजूरी के साथ डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के अप्रैल 2024 के आदेश के अनुरालन में यह आदेश पारित किया गया है। DCW ने किसी भी समय लगाए गए संविदा कर्मचारियों को हटाया है।



वर्षों से आयोग को नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के बजाय, डब्ल्यूसीडी विभाग ने मौजूदा कर्मचारियों को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है इससे आयोग का कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा।

प्रदूषण के बीच पटाखों की बिक्री की नहीं दे सकते अनुमति- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण बहुत है और पटाखों से यह और बढ़ेगा। कोर्ट ने व्यापारियों के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पटाखे नहीं बेच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर भंडारण होगा तो दुरुपयोग की संभावना है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यहां पर पहले से ही पर्याप्त प्रदूषण है। राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अदालत अधिकारियों से पटाखों के भंडारण के

लिए इस्तेमाल किए जा रहे व्यापारियों के परिसरों को सील करने के लिए कहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बिक्री न हो सके। पीठ ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए अदालत पटाखों को बेचने की अनुमति नहीं दे सकती। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने दिल्ली फायरवर्क्स शापकी पर्स एसोसिएशन की याचिका पर दिया।

शिकायत में व्यापारियों ने क्या कहा

याचिका व्यापारियों की शिकायत पटाखों के भंडारण पर प्रतिबंध के संबंध में थी। उन्होंने कहा कि उक्त प्रतिबंध से उनका उत्पीड़न हो रहा था। यह भी तर्क दिया कि एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कोई पटाखे नहीं बेचे जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध आदेश के तुरंत बाद पुलिस ने स्थायी

आरोप था कि डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।

टूटी सड़कें, उड़ती धूल से प्रदूषण के साथ दुर्घटना का खतरा

ष्ट्रीय राजधानी की कई सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। सर्वे और गड्ढा भरने के बयानबाजी के बीच हालत जस की तस है। टूटी सड़कों से गुजरते वाहन और उड़ती धूल की वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति और भी खिगड़ रही है। न तो ये गड्ढे भर जा रहे हैं और न ही नियमित सफाई हो रही है।

इससे दिल्लीवासियों की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यही हाल नई दिल्ली व मध्य दिल्ली क्षेत्र की अंदरूनी सड़कों का भी है। सर्वाधिक आवाजाही वाले इस क्षेत्र में जाम और गंतव्य तक पहुंचने के लिए वाहन अंदरूनी सड़कों से बड़ी संख्या गुजरते हैं। लेकिन इन मार्गों से हिचकोले खाते वाहन धूल उड़ाते हुए निकलते हैं।

लाइसेंसधारियों के पास जाकर सवाल करना शुरू कर दिया कि वे पटाखों का भंडारण क्यों कर रहे थे।

कानून का उल्लंघन करने पर चलेगा मुकदमा

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मौजूद एक याचिकाकर्ता में से किसी पर पटाखे बेचने का आरोप था। पीठ ने कहा कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। पीठ ने कहा कि अगर आप भंडारण करते हैं तो दुरुपयोग की की संभावना है। दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।

डूसू चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट का ब्रेक, पढ़ें अदालत ने क्यों किया JCB का जिक्र



डूसू चुनाव के परिणामों का इंतजार अभी और लंबा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक कैपस की सफाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। अदालत ने डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली। डूसू चुनाव के परिणाम के लिए प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक संपत्ति को सफाई नहीं होगी, चुनाव परिणाम नहीं होंगे। वहीं, साथ ही अदालत ने डीयू प्रशासन व दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए। समस्या डीयू की है, न तो वहां पर व्यवस्था है और न ही कोई इसे लागू करना चाहता है।

संपत्तियों को पहुंचाया था नुकसान

अदालत ने डीयू वीसी और पुलिस से पूछा क्या संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने व दर्जनों कारों का काफिला निकालकर यातायात नियमों को तोड़ने वाले उन्हें दिखाई नहीं देते।

महंगी कारें ला सकते हैं तो जेसीबी भी ला सकते हैं

उधर, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने वीडियो व फोटो पेश किए। अदालत ने कहा कि पांच बड़े प्रत्याशियों को चुने और उन्हें सफाई के लिए प्रोत्साहित करें। जो प्रचार के लिए महंगी कारें ला सकते हैं, वे जेसीबी और ट्रैक्टर भी ला सकते हैं।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दो ट्रक कहा था

इस मामले में मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी दो ट्रक कहा था कि अगर उम्मीदवार चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव की मतगणना की जाए तो उनके द्वारा कैपस में की गई गंदगी को साफ करें।

कैपस में फैली गंदगी को साफ करने के दिष्ट थे आदेश

उस समय हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव (DUSU Election) की मतगणना कराने की मांग को ठुकरा दिया था। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा था कि अदालत चुनाव को रोकना नहीं चाहती है। वहीं, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कैपस में फैली गंदगी को साफ करने होगा, तभी चुनाव परिणाम को लेकर फैसला सुनाया जाएगा।

दीवारों को पर दोबारा करना होगा पेंट

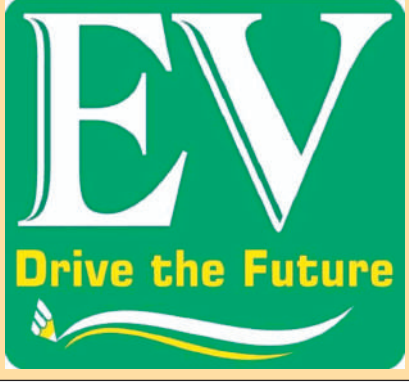
इसके अलावा पीठ ने कहा था कि अगर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए बेंटलेज कार लेकर आ सकते हैं तो क्या गंदगी को साफ नहीं करा सकते। अदालत ने कहा कि दीवारों को पर भी दोबारा से पेंट कराना होगा।

कोर्ट ने स्थगित की थी सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रत्याशियों, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इसी के तहत आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

- :सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



ई-रिक्शा की तरह ई-आटो से लिया जाए वार्षिक शुल्क

परिवहन विशेष न्यूज

ई-रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने परिवहन आयुक्त से ई-रिक्शा की तरह ई-आटो से भी वार्षिक शुल्क लेने की मांग की है। एसोसिएशन के महामंत्री अंकित जैन ने बताया कि ई-रिक्शा से अधिक ई-आटो की बिक्री हो रही है। ई-रिक्शा से लगने वाले जाम पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पर ई-आटो भी जाम की वजह बन रहे हैं। ऐसे में इनकी संख्या पर रोक लगे तथा संचालन के लिए नियम-कायदे बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि ई-आटो की बिक्री तेज हो रही है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी लग रहा है।

ई-आटो के लिए कोई नियम कानून नहीं है। न ही इनके संचालन को लेकर रूटों को प्रतिबंधित किया गया है। ई-रिक्शा आम आदमी चला रहा है, जिस पर रोक की मांग उठ रही है, लेकिन ई-आटो के लिए संचालकों से अधिक धनराशि ली जा रही है, पर उनके संचालन को लेकर नियम कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। ई-रिक्शा में हर सामान सस्ता है। रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आरटीओ द्वारा ई-रिक्शा ना लिखकर श्री व्हीलर लिखा जाता है, जिसके बाद इसे अलग श्रेणी कर दिया गया है। अगर ई-रिक्शा से 800 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाए तो ई-आटो से भी शुल्क वसूला जाना चाहिए।

शहर के अंदर चल रहे टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा वालों को अब नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा। बिना लाइसेंस शहर में चलने की अनुमति नहीं होगी। हर वार्ड के कर निरीक्षक इनके लाइसेंस की जांच करेंगे। अभी तक फ्री में लाइसेंस बनता था, लेकिन अब फीस देनी पड़ेगी।

इसको लेकर नगर निगम ने नया नियम ड्राफ्ट तैयार किया है। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी में इसको रखा जाएगा। वहां से अनुमति मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। लाइसेंस न बनवाने वाले चालकों से जुर्माना वसूलने की भी तैयारी है।



ओला इलेक्ट्रिक पर ARAI अपनी जांच तेज करेगा, जबकि उद्योग जगत में इसे वापस बुलाने की उठ रही है मांग

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑडिट में तेजी लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है, जो ओला इलेक्ट्रिक की अपर्याप्त सेवा मानकों के बारे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को भेजी गई 10,000 से अधिक शिकायतों के बाद शुरू किया गया है।

प्रभावित ग्राहकों को उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, एआरएआई ने ओला इलेक्ट्रिक को सभी ओला इलेक्ट्रिक सेवा केंद्रों से ग्राहक संपर्क और सेवा डेटा से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस कदम से ग्राहकों के समक्ष सेवा वितरण चुनौतियों से संबंधित बढ़ती शिकायतों की गहन जांच हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त परीक्षण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑटोकार प्रोफेशनल को बताया कि एआरएआई ग्राहकों द्वारा बताई गई विभिन्न समस्याओं की जांच के लिए एक समर्पित अंतरिक टीम गठित करने की प्रक्रिया में है।

प्रभावित ग्राहकों को दोषपूर्ण इकाइयों के प्रतिस्थापन के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए स्कूटरों को वापस बुलाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ARAI के निदेशक रेजी मथाई ने कहा कि प्रमुख भारतीय OEM को अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मथाई ने आगे कहा, रहमने पहले ही ओला इलेक्ट्रिक से उपभोक्ता और सेवा डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया है। CCPA को संबोधित करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम आवश्यक कार्रवाई निर्धारित करने के लिए MHI के साथ सहयोग करेंगे।

एआरएआई के सुत्रों ने मीडिया को बताया है कि संगठन अपने उत्पादन अनुरूपता लेखापरीक्षा (सीओपी) के दायरे को व्यापक बनाने का इरादा रखता है।

परंपरागत रूप से इन सीओपी ऑडिट में मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) सुविधा या डीलरशिप से वाहनों का यादृच्छिक चयन शामिल होता है।

एआरएआई ने ग्राहकों की शिकायतों के साथ सहसंबंध स्थापित करके इस ऑडिट को बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि उन घटकों की पहचान की जा सके जो उच्चतम विफलता दर प्रदर्शित करते हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए ओईएम द्वारा उठाए गए उपायों का आकलन किया जा सके।

यू.एस. स्थित ऑडिट, अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म फोरवर्ड मंचावर ने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स तथा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनर रोहित चतुर्वेदी ने इस दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओईएम को अपने आपूर्तिकर्ताओं को नियमित ऑडिट करने, दोषपूर्ण वाहनों का पता लगाने के लिए भागों की निगरानी करने और आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के साथ ठोस अनुबंध बनाने के लिए स्पष्ट एस्केलेशन प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए।

चतुर्वेदी ने ओईएम द्वारा वारंटी, क्षतिपूर्ति और जिम्मेदारियों के वितरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के महत्व पर भी बल दिया, जिसकी एआरएआई जांच करना चाहती है।

चतुर्वेदी ने आगे कहा कि प्रमोटर द्वारा संचालित कंपनी के विपरीत एक अच्छी तरह से प्रबंधित कॉर्पोरेट बोर्ड उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करके प्रबंधन व्यवहार को प्रभावी ढंग से विनियमित कर सकता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओला महत्वपूर्ण सुधार देख सकता है।

नीति आयोग में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पूर्व निदेशक और फोरसी एडवाइजर के संस्थापक रणधीर सिंह ने कहा, एआरएआई की जांच के परिणाम यह निर्धारित करेंगे कि क्या रिकॉल आवश्यक है या सेवा और गुणवत्ता संवर्द्धन के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सिंह को नहीं लगता कि सरकार अनिवार्य वापसी लागू करने के लिए कोई अपवाद बनाएगी, जब तक कि एआरएआई के निष्कर्षों से व्यापक सुरक्षा चिंता का पता न चले।

सिंह ने कहा, रस्वैच्छिक रिकॉल का ढांचा निर्माताओं को जवाबदेही स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है, और यदि एआरएआई को व्यापक समस्या के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, तो यह ओला को विवेकपूर्ण तरीके से उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है - यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार में जल्दबाजी में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

उन्होंने कहा, रइस समय, ARAI द्वारा की गई जांच से यह पता चलने की उम्मीद है कि क्या वापस बुलाना उचित है या सेवा और गुणवत्ता के स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई से प्रभावी रूप से समस्याओं का समाधान हो सकता है।

एआरएआई केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के उल्लंघन के आधार पर अपनी जांच शुरू करने का इरादा रखता है।

एआरएआई के सुत्रों के अनुसार, ओला से जुड़ी चिंताएँ सीएमवीआर उल्लंघनों से अधिक निकटता से जुड़ी हैं जो एक परीक्षण एजेंसी की जिम्मेदारियों के सामान्य दायरे से बाहर हैं। उनका मोटर वाहन अधिनियम 1998 से अधिक संबंध है जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रासित किया जाता है।

एआरएआई भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी है जो परंपरागत रूप से वाहनों, घटकों और प्रणालियों का ऑडिट और मूल्यांकन करती है।

उनके ऑडिट में आम तौर पर विभिन्न ऑटोमोटिव वाहनों, प्रणालियों और घटकों के लिए वाहन प्रमाणन और होमोलोगेशन, साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के लिए पहियों, टायरों और कांच का घटक-स्तरीय प्रमाणन और परीक्षण शामिल होता है।

परीक्षण एजेंसी मामले में ऑडिट करने के



सरकारी आदेश का पालन कर रही है।

सरकार के पास जुर्माना लगाने या कार निर्माताओं को प्रभावित वाहनों को बदलने का आदेश देने का भी अधिकार है।

ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए कानूनी निहितार्थों पर केंद्रित एक शोध पत्र में, दिल्ली स्थित कानूनी फर्म कोचर एंड कंपनी के वरिष्ठ भागीदार प्रदीप रत्नम और एसोसिएट आरोह भार्गव ने उल्लेख किया है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग ने हाल ही में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहनों में उछाल देखा है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक के मामले में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन को मान्यता दी गई है और एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जो केंद्र सरकार को वाहनों को वापस मंगाने का अधिकार देता है।

प्रदीप और आरोह ने कानून के क्रियान्वयन के बारे में अपने मूल्यांकन में लिखा है, रमोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) अधिकृत अधिकारियों को निर्माता की सुविधाओं तक पहुंच कर रिकॉर्ड और परिचालन प्रक्रियाओं की जांच करने का अधिकार देता है। विनिर्माण दिशा-निर्देशों, तकनीकी मानकों और सुरक्षा विनियमों का पालन न करने पर वाहन वापस मंगाए जा सकते हैं और वित्तीय डंड लगाया जा सकता है।

एमवीए निदेशकों और अधिकारियों को कंपनी के कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है। रंडिफॉल्ट अधिकारीर में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जो बोर्ड की सहमति के माध्यम से उल्लंघनकारी कार्य

का समर्थन करते हैं। जबकि एमवीए का उद्देश्य विनिर्माण सुरक्षा को बढ़ावा देना है, 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उत्पाद दायित्व को संबोधित करता है, रकोचर लॉ फर्म की टीम ने समझाया।

अन्य कानूनी पेशेवरों के अनुसार, वर्तमान में, नियामक दृष्टिकोण से, सबूत की जिम्मेदारी प्रभावी रूप से उपभोक्ता से निर्माता और विक्रेता पर स्थानांतरित हो गई है, जिन्हें विशिष्ट चूक के लिए उत्तरदायित्व की धारणा को गलत साबित करना होगा।

नोमुरा के ऑटोमोटिव रिटेल कंसल्टिंग प्रैक्टिस का नेतृत्व करने वाले हर्षवर्धन शर्मा ने एआरएआई की पहल को रचनात्मक प्रगति बताया। उन्होंने ऑटोकार प्रोफेशनल से कहा कि अगर मौजूदा मुद्दों की पहचान की जाती है, तो सरकार की भागीदारी से समाधान में तेजी आ सकती है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण में सुधार होगा और उद्योग की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

शर्मा ने बार-बार होने वाली सुरक्षा समस्याओं के मामलों में सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्होंने बताया कि स्वेच्छिक रिकॉल नीतियां OEM को दोषों को सुधारने की छूट देती हैं, लेकिन रगंभीर सुरक्षा मुद्दों, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते EV क्षेत्र में, सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

नोमुरा के विशेषज्ञ के अनुसार, अमेरिका के एनएचटीएसए और जापान के भूमि, अवसरचना और परिवहन मंत्रालय दोनों को सार्वजनिक सुरक्षा

के खतरे में होने पर रिकॉल की आवश्यकता होती है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत में भी इसी तरह के नियम अपनाए जा सकते हैं।

हर्षवर्धन ने कहा, “यदि कई घटनाएं लगातार समस्याओं का संकेत देती हैं, तो सरकार की भागीदारी से त्वरित समाधान संभव हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। इससे उद्योग को भी जवाबदेह बनाया जा सकेगा। ग्राहक असंतोष के संदर्भ में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के नैतिक दायित्वों का मूल्यांकन करते समय यह विशेष रूप से प्रासंगिक है।”

OEMs पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान करने की महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, रनैतिक दृष्टिकोण से, चारदशता महत्वपूर्ण है - OEMs को उपभोक्ताओं के साथ संचार की खुली लाइन बनाए रखनी चाहिए, जैसा कि टोयोटा जैसे वैश्विक नेताओं ने अपनी सक्रिय रिकॉल रणनीतियों के माध्यम से उदाहरण दिया है।

शर्मा ने जोर देकर कहा, रत्वरित प्रतिक्रिया, जिसमें स्वेच्छिक वापसी या सुधारात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है, न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा करती है, बल्कि ब्रांड के प्रति स्थायी निष्ठा भी पैदा करती है।

इन संगठनों ने सुरक्षा संबंधी मुद्दों के जवाब में स्वेच्छिक रूप से उत्पादों को वापस बुलाने मानक स्थापित किए हैं, अक्सर नियामक कार्रवाई को रोकते हुए, इस प्रकार संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

केटो मोटर्स के पूर्व मुख्य विपणन अधिकारी वेणुगोपाल राव नेल्लुट्टला का कहना है कि सरकार को ओला इलेक्ट्रिक जैसे निर्माताओं को घटकों की समस्याओं को सुधारने और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए रिकॉल शुरू करने का निर्देश देना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि ये निर्माता सॉफ्टवेयर से लाभान्वित होते हैं जो उनकी वित्तीय स्थिरता और व्यावसायिक विकास में सहायता करती है।

उन्होंने कहा, रविशेष रूप से जब सरकार सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है, तो ओईएम को अंतिम उपभोक्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए, जो ब्रांड और उसके उत्पादों पर अपना भरोसा रखते हैं।”

इलेक्ट्रिक श्री-व्हीलर निर्माता अल्टीग्रीन प्रोपल्शन लैक्स के संस्थापक और सीईओ अमिताभ सरन ने कहा, रकंपनी को स्वयं उपयोग के मामले को गहन जांच करनी चाहिए।”

सरन ने बताया कि रिकॉल तब होता है जब मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया में कोई विफलता होती है या जब आपूर्तिकर्ता का कोई विशिष्ट बैच गुणवत्ता आश्वासन मानकों को पूरा नहीं करता है।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम) ने स्वेच्छिक रिकॉल कोड लागू किया है, जिसने भारत में रिकॉल प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

जुलाई 2012 में 5.67 मिलियन से अधिक वाहनों को वापस बुलाया गया, जिनमें 3,931,185 कारें और एसयूवी तथा 1,743,195 दोपहिया वाहन शामिल थे।

2022 में 278,405 वाहन वापस बुलाए गए, और जनवरी से अप्रैल 2024 तक अतिरिक्त 317,531 वाहन वापस बुलाए गए।

2022 में, कंपनी ने पुणे में आग लगने की घटना के बाद 1,441 ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस बुलाए।

कंपनी ने स्कूटरों पर डायग्नोस्टिक मूल्यांकन किया, जिसमें बैटरी, थर्मल और सुरक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मई 2023 में, ओला इलेक्ट्रिक ने वित्त वर्ष 2019-20 और 30 मार्च, 2023 के बीच स्कूटर के साथ ईवी चार्जर खरीदने वाले ग्राहकों को 130 करोड़ रुपये वापस करने की घोषणा की।

2023 में एस1 और एस1 प्रो मॉडल में फोकर्स आम की समस्या के संबंध में, ओला ने कहा कि कम विफलता दर के कारण पूर्ण रिकॉल अनावश्यक था।

ओला इलेक्ट्रिक, जिसने 2021 से अब तक लगभग 7,05,346 इकाइयां बेची हैं, ने 2023 में ग्राहकों की शिकायतों के प्राथमिक स्रोतों में से एक, फ्रंट फोकर्स को संबोधित करते हुए कहा, रआमतौर पर, जब विफलता दर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो रिकॉल अनिवार्य होता है, जो भारत में बेचे गए सभी वाहनों का 2% निर्धारित है।”

भारती ट्रेडर्स में सिटी लाइफ ई-रिक्शा पर 5 हजार कैश बैक का आकर्षक ऑफर

परिवहन विशेष न्यूज

बिहारशरीफ के सोहसराय के बबुरबन्ना स्थित भारती ट्रेडर्स में सिटी लाइफ ई-रिक्शा की खरीद पर ढेरों उपहार दिए जा रहे हैं। कैश बैक के साथ-साथ यहां लकी ड्रा कूपन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 ग्राम तक का चांदी का सिक्का जीत सकते हैं। भारती ट्रेडर्स के निदेशक अमित कुमार भारती ने बताया कि सिटी लाइफ ई-रिक्शा अन्य ई-रिक्शा से काफी बेहतर है। यह कम समय में चार्ज हो जाता है और लंबे समय तक यात्रा का साथी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंटर लॉक की सुविधा दी गई है।

सेल्स मैनेजर दीपक कुमार ने बताया कि सिटी लाइफ ई-रिक्शा 12 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है। इसके अलावा जंगरी भी बांटी, मजबूत और फिक्स फ्रंट ग्लास जैसी कई खूबियां हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर भारती ट्रेडर्स खास ऑफर दे रहा है। वाहन की खरीद पर 5 हजार का कैश बैक और एक साल तक बिल्कुल मुफ्त सर्विसिंग दी जा रही है। यह लाभ पूजा के दौरान बुकिंग कराने पर ही मिलेगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी बुकिंग कराएं।



ईवी रिचार्ज ने मोबाइल फास्ट चार्जिंग समाधान के लिए जेवो के साथ मिलाया हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

मोबाइल ग्रीन एनर्जी चार्जिंग समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी ईवी रिचार्ज ने डिलीवरी के लिए 1,500 से अधिक तिथियां इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने वाली लॉजिस्टिक्स प्रदाता जेवो के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग नोएडा में ईवी रिचार्ज के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य मोबाइल चार्जिंग तकनीक के माध्यम से संधारणीय लॉजिस्टिक्स में सुधार करना है।

यह साझेदारी जेवो के बेड़े के लिए ऑन-लोकेशन चार्जिंग प्रदान करेगी, जिससे वाहनों का डाउनटाइम काफी कम हो जाएगा और डिलीवरी के लिए सड़क पर अधिक समय मिलेगा। ईवी रिचार्ज की तकनीक वाहनों को लगभग 20 मिनट में 0% से 80% तक चार्ज करने में सक्षम बनाती है, जबकि पारंपरिक चार्जिंग समय 3 से 4 घंटे का होता है। ईवी रिचार्ज द्वारा पेश की जाने वाली मोबाइल चार्जिंग इकाइयां 18KWh से 120KWh तक की तेज चार्जिंग क्षमता प्रदान करती हैं, जो जेवो

जैसे बेड़े संचालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

ईवी रिचार्ज के सह-संस्थापक और सीईओ ऑर्पिट शर्मा ने कहा, रहमें अपनी मोबाइल फास्ट चार्जिंग तकनीक पेश करने के लिए जेवो के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। यह समाधान वाहन के स्थान पर लचीले चार्जिंग अनुमति देता है, जो ईवी लॉजिस्टिक्स संचालन की दक्षता को बढ़ा सकता है।

ईवी रिचार्ज के सह-संस्थापक और सीओओ देवांश पोद्दार ने बताया कि यह साझेदारी आने वाले 10 से 12 महीनों में पूरे भारत में मोबाइल चार्जिंग समाधान का विस्तार करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। शुरुआत में बी2बी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ईवी रिचार्ज का लक्ष्य अंततः व्यक्तिगत ईवी मालिकों को सेवाएं प्रदान करना है।

ईवी रिचार्ज अपने मोबाइल चार्जिंग यूनिट में एक हल्के मॉड्यूल का उपयोग करता है ताकि सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सके। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके अन्य ईवी को



बिजली देने के लिए उल्लेखनीय है, जिससे पूरी तरह से हरित प्रक्रिया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, उनकी तकनीक में उच्च शक्ति रूपांतरण दक्षता है, जिससे ऊर्जा हानि कम होती है।

जेवो के संस्थापक और सीईओ ने सहयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोबाइल फास्ट चार्जिंग से उनके डिलीवरी बेड़े को परिचालन दक्षता बनाए रखने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा

करने में मदद मिलेगी।

नोएडा में लॉन्च ईवी रिचार्ज की विस्तार योजना की शुरुआत मात्र है। शुरुआत में जेवो के बेड़े पर ध्यान केंद्रित करते हुए, साझेदारी का उद्देश्य उन्नत चार्जिंग तकनीक को अतिरिक्त स्थानों और क्षेत्रों तक विस्तारित करना है, जिससे पूरे भारत में अधिक टिकाऊ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विकास में योगदान मिलेगा।

जलवायु संकट और दूर होते लक्ष्य



लगभग 23 'मार्केटर रिसर्च', बर्लिन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। यही स्थिति रही, तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले चार साल और नौ महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में साल का समय शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए, लंबे विचार-विमर्श और खींचतान के बाद, 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे।

जलवायु संकट दिनोंदिन गहरा रहा है। हर वर्ष गर्मी कुछ बढ़ी हुई दर्ज होने लगी है। वैश्विक ताप और इससे जुड़े हर आंकड़े लगातार बढ़ते संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। जलवायु संकट से निपटने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए किए रहे प्रयासों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो अब और बढ़ रहा है। वायुमंडल में पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों की मात्रा चरम पर है। ब्लूमबर्ग के आनलाइन आंकड़ों के मुताबिक अभी वायुमंडल में कार्बन डाइआक्साइड का ग्राफ 421.44 पीपीएम तक जा पहुंचा है, जो पृथ्वी के संतुलित तापमान के लिए जरूरी (350 पीपीएम) पैमाने से 71.44 ज्यादा है। लगभग 23 'मार्केटर रिसर्च', बर्लिन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, हमारी वर्तमान तैयारियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं। यही स्थिति रही, तो पृथ्वी का औसत तापमान अगले चार साल और नौ महीने में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वहीं 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने में साल का समय शेष है। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इस सदी के अंत तक के लिए, लंबे विचार-विमर्श और खींचतान के बाद, 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में निर्धारित किए गए थे। इसे अब तक का सबसे आशावादी समझौता माना गया था। इसके बावजूद वैश्विक तापमान में वृद्धि लगातार होती जा रही है। 'यूनाइटेड इन साइंस' की रपट तो और भी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान नीतियों के तहत, इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान के तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। यह जलवायु संकट से बचाव के लिए गंभीर चेतावनी है।



किए गए और अनेक बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन अजोना परत के छिद्र को छोड़ कर किसी भी क्षेत्र में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। इसके साथ-साथ, बढ़ते जलवायु संकट में पश्चिमी या विकसित देशों का योगदान अधिक रहा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वैश्विक संदर्भ में ऐसा नहीं दिखता। वैश्विक परिदृश्य में पारदर्शिता बढ़ने के बावजूद, सभी देशों के बीच 'क्षमता के अनुसार साझा, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत पर केवल सैद्धांतिक सहमति बनी है। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करने में विकसित देश किसी भी प्रकार की संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं, विकासशील देशों, जैसे भारत और ब्राजील, को प्राथमिकताएं

अपनी विशाल जनसंख्या को बुनियादी संसाधन मुहैया कराने पर केंद्रित हैं। दूसरी ओर, गरीब देश, विशेषकर समुद्री किनारों पर बसे या द्वीपीय देश, मौजूदा वैश्विक आर्थिक तंत्र के शिकार बन रहे और जलवायु संकट का सबसे अधिक दर्श झेल रहे हैं। मौजूदा जलवायु संकट पर सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक नीतियों का है, विशेषकर तब जब पेरिस जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 और 2050 के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किसी भी आर्थिक गतिविधि पर लागू कर की दर या उसमें दी गई छूट इस बात का संकेत देती है कि जलवायु संकट से निपटने के हमारे प्रयास कितने प्रभावी हैं। इसका कारण यह है कि हर आर्थिक गतिविधि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए

जिम्मेदार उत्सर्जन से जुड़ी से होती। मसलन, आज भी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत है और इसके उत्पादन और उपयोग पर अभी भी सरकारी मदद दी जा रही है, जो स्पष्ट रूप से जलवायु संकट को बढ़ावा देने वाली नीति है। विकासशील देश इसी व्यवस्था पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास हरित ऊर्जा विकसित करने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही विकसित देशों से तकनीकी सहायता और आर्थिक साधन मिल रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जलवायु संकट में मौजूदा वित्तीय व्यवस्था, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और अन्य संस्थाओं के दशकों से चले आ रहे आग्रह के

बावजूद, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली परियोजनाओं को अनुदान दे रही है, जबकि स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए थी। देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र का दबाव समूह या 'कारपोरेट लाबी' भी शामिल है, ऐसी वित्तीय व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करती है। वैश्विक दक्षिण के देशों में कारपोरेट का व्यवहार एक परजीवी के समान है, जो सार्वजनिक धन को विकास की आवश्यकताओं जैसे गरीबी और पिछड़ेपन की आड़ में अनुदान के रूप में जलवायु संकट से संबंधित परियोजनाओं में झोंक कर मुनाफा कमा रहा है। 'एक्शन ऐड' की मौजूदा रपट अधिकांश देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों में, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था पर कारपोरेट लाबी के प्रभावी पकड़ को जिम्मेदार बताती है। इसमें विकसित देशों द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के तहत 'जलवायु वित्त' के खोखले वादों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

जलवायु संकट अब अपने विकराल रूप में आ चुका है। ऐसे में कारपोरेट को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और वैश्विक समुदाय को लाबी संस्कृति पर नियंत्रण लगाना होगा, ताकि सार्वजनिक वित्त का उपयोग जलवायु संकट को कम करने और इसके प्रभावों से बचाव के लिए आवश्यक क्षमता के विस्तार में किया जा सके। विकसित देशों को भी वैश्विक ताप में अपने योगदान और असमान विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका को स्वीकार कर 'क्षमता के अनुसार साझा, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' के सिद्धांत में बाधा डालने से बचना होगा।

पराली निस्तारण के उपाय : विजय गर्ग

पराली का निस्तारण एक गंभीर समस्या है। पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन विंडबना यह है कि आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इस बारे में दावे भले बराबर किए जाएं, लेकिन हकीकत में यह समस्या हर साल और विकराल होती जा रही है। दुखदई बात यह है कि सरकारें इस बाबत तब होश में आती हैं, जब इस समस्या के चलते वायु प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोगों का संस लेना दूभर हो जाता है। देखा जाए तो पराली जलाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा और पंजाब अक्बूर से लेकर दिसंबर तक भयावह वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है। ये महीने यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आते हैं, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों द्वारा इसे रोकने की दिशा में किए गए सारे प्रयास, अभियान और किसानों को जागरूक करने के सभी कदम बेमानी साबित हो जाते हैं। दुष्परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण की गंभीरता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और सरकारों इसके समने बेबस नजर आती हैं। यह सब तब

होता है, जब पराली जलाने पर पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बाबत गंभीर चिंता जाहिर कर चुका हैं कि यह कैसा प्रबंधन है कि प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाई जा रही है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रदूषण की रोकथाम के वे हवा-हवाई हैं। जहरीली हवा में सांस राजधानी में हर वायु प्रदूषण के चलते यहाँ के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में इस कारण बड़ी संख्या में लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। नतीजन पहले से ही अस्थमा से परेशान लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण जानलेवा बन जाता है। ऐसे हालात में अस्थमा के रोगियों का बढ़ना खतरनाक संकेत है। वैसे भी मौसम में आ रहे बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। पंजाब में अभी तक पराली जलाने की घटनाओं में नौ गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि पंजाब में इस बार धान की कटाई के बाद 200 लाख टन पराली बचेगी, जबकि राज्य का लक्ष्य लगभग 20 लाख टन पराली के प्रबंधन का ही है। जाहिर है, शेष पराली प्रबंधन के अभाव में जलाई हो जाएगी। वैसे पराली निस्तारण के लिए पंजाब सरकार ने 58 कंफ्रेस्ट बायें गैस प्लांट लगाने की



मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसके पास पराली का भंडारण करने के लिए जमीन ही नहीं है।

पर्यावरण स्वच्छता पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। स्वच्छ पर्यावरण

सुनिश्चित करना केंद्र, राज्य समाज और लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसे सभी को ईमानदारी से निबाहना चाहिए। लेकिन इसमें हम विफल रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि खास तौर पर घर सदियों में आसमान धुंध और विषाक्त गैस से जिरा होता है, केवल उस समय ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाए। पूरे देश में वायु प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बीते बरस दिल्ली भाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि पड़ोसी राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने से हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और पराली से कंपोस्ट खाद बनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से दोहरा लाभ होगा। खाद बनाने से बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी और दूसरी ओर किसान इस खाद का उपयोग कर बेहतर और रसायन विहीन पैदावार हासिल कर सकेंगे।

अन्य कारकों की भूमिका वायु प्रदूषण में

पराली की अहम भूमिका है, लेकिन सड़कों की धूल एवं वहां फैले कूड़े व बायोमास का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इससे वातावरण में जहर के काकटेल का निर्माण होता है। वातावरण में सबसे अधिक घातक अजैविक एयरोसेल का निर्माण, बिजलीघरों, उद्योगों, ट्रैफिक से निकलने वाली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन आक्साइड तथा कृषि कार्य से पैदा होने वाले अमोनिया के मेल से होता है। लगभग 23 प्रतिशत वायु प्रदूषण की वजह यह काकटेल ही है। दिल्ली में बाय प्रदूषण का जायजा लें तो पता चलता है कि धुंध का 20 प्रतिशत उत्सर्जन दिल्ली के वाहनों से, 60 प्रतिशत दिल्ली के बाहर के वाहनों से तथा 20 प्रतिशत के आसपास बायोमास जलाने से होता है। इस संदर्भ में किए गए अनेक हालिया शोध अध्ययनों में यह दर्शाते का प्रयास किया गया है कि वायु प्रदूषण की समस्या किसी युद्ध की विभीषिका की आशंका से कम नहीं है इसलिए विकास का दावा उठी स्थिति में कारगर हो सकता है, जब वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान हम अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निकालने का प्रयास करें।

अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ तबाही मचा रहे हैं

विजय गर्ग

भोजन इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। हमें अपने भोजन से ऊर्जा और आवश्यक सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन आजकल यह बुनियादी आवश्यकता इसकी सामग्री में विभिन्न प्रकार की मिलावट से ग्रस्त है। हम अपनी खाद्य श्रृंखला में अपनी अज्ञानता या अपनी मजबूरी के कारण बहुत सारे कीटनाशकों, कीटनाशकों और अन्य प्रकार के खरपतवारनाशी रसायनों का लगातार उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि आजकल विभिन्न प्रकार के कीटों से छुटकारा पाने के लिए हमारी वनस्पतियों और अन्य खाद्य पदार्थों में इस प्रकार के रसायनों का उपयोग करना बहुत अनिवार्य हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे कीटनाशक हमारी वनस्पति के लिए, उनकी अधिकतम उपज और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक कहावत है कि अति हर चीज की बुरी होती है। ऐसे रसायनों का उपयोग करने की हमारी अति निर्भरता की आदत हमारे लिए विनाश पैदा कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंततः ये हानिकारक रसायन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। आजकल हम विभिन्न प्रकार के हानिकारक खरपतवारों और अर्वांछित घास के उन्मूलन के लिए अक्सर कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मक्का और गेहूं जैसी हमारी मुख्य फसलों में भी हम उचित उपज प्राप्त करने के लिए हर साल लगातार ऐसे कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। यहां तक कि हमारी सब्जियों और फलों में भी बहुत सारे रसायन और संरक्षक



होते हैं। हमारे बाजार पूरे वर्ष हर प्रकार के फलों और सब्जियों से भरे रहते हैं। यहां तक कि हम पूरे वर्ष अनेक बाजारों से बेमौसमी फल और सब्जियां भी प्राप्त करते हैं। हालांकि हम आम तौर पर इन खाद्य पदार्थों को उनके उपयोग से पहले धोते हैं। लेकिन इन रसायनों का कुछ प्रतिशत आम तौर पर इन खाद्य पदार्थों में निहित होता है। अंततः ऐसे सभी हानिकारक रसायन धीरे-धीरे हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। परिणामस्वरूप हमने पाया है कि अधिकतर लोग बहुत सी एलर्जी प्रतिक्रियाओं और अन्य स्वास्थ्य बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके विपरीत हम इन प्रतिक्रियाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं। और वो एंटीबायोटिक दवाइयां हमारे लिए और भी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। हम इस कहर से कैसे छुटकारा पाएं, ये हम सभी के लिए ज्वलंत मुद्दा है। हमारा मानना ​​है कि इस घातक का सबसे प्रशंसनीय समाधान जैविक उत्पादों और खाद्य पदार्थों का उपयोग है। जैविक खेती के प्रयोग से हम इन रसायनों के दुष्प्रभाव से छुटकारा पा

सकते हैं। हालांकि, जैविक खेती में हमें वॉलेंट और पर्याप्त मात्रा में फसल की पैदावार नहीं मिलती है। लेकिन, यह हमें कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। हमारे लिए केवल दो ही विकल्प उपलब्ध हैं, यदि हम ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं तो हमें अधिक उत्पादन मिलेगा और यदि हम जैविक खेती का उपयोग करते हैं तो हमें कम उत्पादन मिलेगा लेकिन शुद्ध और स्वच्छ। विकल्प हमारा है, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। अस्वास्थ्यकर और मिलावटी खाद्य पदार्थों की चाहत में। ये हानिकारक रसायन धीरे-धीरे भुजल और हमारी मिट्टी में प्रवेश करते हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों की मूल बनावट और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये हानिकारक रसायन न केवल इस धरती पर मनुष्यों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि अन्य निम्न प्राणियों पर भी विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इन रसायनों से अनेक लाभकारी सूक्ष्मजीव प्रभावित होते हैं। ऐसे हानिकारक उत्पादों के अत्यधिक उपयोग से विभिन्न अन्य निचले प्राणियों के आवास सहित हमारा पूरा

पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। हमारी खाद्य श्रृंखला के इस डिजाइन को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले दिनों में इन रसायनों के कारण हमें और अधिक परेशानी होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे खाद्य उत्पादों में ऐसे रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होमोसेपियंस का जीवन धीरे-धीरे केमिकोसैपियंस में परिवर्तित हो रहा है। इस दिशा में जन जागरूकता की निर्तात आवश्यकता है। हमारा कृषिविशेषज्ञ इस समस्या की गंभीरता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, वे हमारे किसानों को इस दिशा में अधिक सहज तरीके से मदद कर सकते हैं। हालांकि वे पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी विभाक्तता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

मुखौटे वाली भीड़

विजय गर्ग

अलग-अलग शहरों, कस्बों और गांवों में निर्मित हो रही एक तरह की भीड़ एक विचित्र सामूहिक नशे की शिकार लगती है। यह आवेशित भीड़ कई बार अश्लीलता की हद तक तेज बजते गानों पर उन्मादी शोर में डूबी दिखती है, जो रोटी-रोजगार के सवाल की भूल चुकी दिखती है। अलग-अलग 'बांड' के रहनुमाओं के पीछे भाग रही यह भीड़ पुस्तकालय और विद्यालय से बेखबर दिखती है। नवनिर्मित और दिनोंदिन बढ़ती जा रही इस भीड़ की फसल को देख अलग-अलग रूप धरे धार्मिक और राजनीतिक व्यापारी प्रसन्न होते जा रहे हैं। कई बार कुछ रहनुमा जैसे लोग अलग-अलग वेश में भीड़ में उत्साह का संचार करते दिखते हैं। धार्मिक-राजनीतिक आकांक्षों के नए-नए फरमान इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बनने देना चाहते हैं। लोगों के होठ तो सूख ही रहे हैं, आंखों का पानी भी सूखता जा रहा है। ईंसान और ईंसानियत से ज्यादा और भी कुछ महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसे शायद नहीं होना चाहिए था। ये सवाल गौण हैं कि कौन पढ़ने देना चाहता है... क्यों पढ़ने दिया जाए... इतनी हिम्मत बची है जो पढ़ोगे, आदि। किताब की दुकानें सिमटती जा रही हैं। महामारी के पहले लगभग सभी स्टेशनों पर किताब की समृद्ध दुकानें थीं। वे आज बंद हो रही हैं या उन्हें समेट दिया गया है। किताब की जगहों पर चिप्स, कुरकुरे, ब्रिस्टल पैर पसार चुके हैं। पुस्तकालयों की बर्बाद होते देखा जा सकता है। विद्यालयों में बच्चे किताबों का इंतजार कर रहे हैं। युवा पीढ़ी डीजे की ऊंची धुनों पर सिर्फ थिरक रही है। सरकारी नौकरी के लिए पागल, लेकिन निजीकरण का समर्थक मध्यवर्ग ऊंचे दाम देकर अपने बच्चों को दड़बेनुमा कमरों में रटने की मशीन बनाने पर आमादा है। वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों से ज्ञान प्राप्त करती आधुनिक संतानें बर्बाद होते संस्थानों के दौरे में संदेश आगे भेजने और 'रील' बनाने की मशीन बनती जा रही हैं। पठनीयता में गिरावट से सबको लाभ है। बाजार के जाल को समझना आसान



नहीं है। मतदाता से समर्थक में तब्दील हुई भीड़ में सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत ही कहां बची है! हम दुर्भाग्य में धकेली हुई भीड़ हैं। इस बनाई हुई भीड़ को गुमराह करके दूसरे रास्तों पर हांक दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें अलग कहानी बयान करती हैं। यों भी तस्वीरें एक मुखौटा लगाए रहती हैं। बदहाल सरकारों अस्पताल भीड़ से भरे जा रहे हैं। प्रतिदिन दर्द से कराहते लोग थोड़ी-सी बची थक को जिनगी को कोसते हुए रिसते से भी कमजोर किसी दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। सुदूर अंचल से आए हुए लोग 'ओपीडी' की न बढ़ने वाली भीड़ में से गार्ड से बस एक बार डाक्टर साहब को दिखाने की मन्नत मांगते हैं। जांच कक्ष में जिनगी के हैरतअंगेज कारनामों से मुखातिब कराती मशीनें जैसे अब तक किए गए कर्मों का हिसाब लिख रही होती हैं। अब तक निगले गए निवालों से अहम दवाइयों की लाइन में जेब को टेलोटी की कांपती कलाइयां जैसे जिनगी के अवसान के आखिरी पल की गवाह बनती हैं। इस भीड़ का हिस्सा बन जिनगी की ओर जी लेने की जदोजहद में जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तभी हमें जिनगी की नश्वरता की वास्तविक ध्वनि कानों में सुनाई पड़ती है। लगता है, देवताओं ईंसानों की प्रार्थना कबूल करने से इनकार कर दिया है। गांव अपनी बेबसी के साथ हताशा के स्वर में जैसे बुदबुदा रहे हैं। टेलीविजन

के अनुसार राय बनाता शहरी वर्ग मानो एक आयाम समझ और हताशा का शिकार होकर अब घुटन की विवश है। गांव और शहर के कुछ रास्ते ऐसे हैं कि इन रास्तों पर कोई नहीं आता, बस भूख आती है। भूख हर रोज आती है, क्योंकि भूख का कोई रिविwar नहीं है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है कि भूख और सब उसके पेट का परीक्षण प्रतिदिन करते हैं। हम स्वार्थ की भाषा और लाभ की आवाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर हम बाहर की यात्रा को भूलकर एक बार अंदर की यात्रा करें तो सत्य कितने खराब रूप में प्रकट होता है। हमारे सामाजिक, पारिवारिक सभी रिश्ते कितने खोखले होते जा रहे हैं! कितनी अस्थिर संरचनाओं के बीच जीने के लिए विवश हैं हम लोग। एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया है। एक ईंसान के रूप में ईंसान का कोई महत्व नहीं है। हमारे छोटे-छोटे अहंकार और हित, किसी की आंखों के बड़े ख्वाबों को निर्दयतापूर्वक कुचल रहे हैं। मनुष्य होने का जो मूल है- आगे, भावनाएं, रुदन, मुस्कुराहट, वही रौंद दी जा रही है। हम किसी न किसी प्रकार के नशे के आगोश में हैं। क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। स्वार्थ इतनी हावी है कि ईंसान धीरे धीरे उपभोग की वस्तु बनता जा रहा है। हमें वस्तुओं का इस्तेमाल करना और रिसतों को सहजना चाहिए था, लेकिन हम रिसतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वस्तुओं को सहज रहे हैं। सच की आंच पर किसी भी रिशते को एक बार परख कर देखें, हल्की-सी तपिश पर पिघल कर अपने वास्तविक और वास्तव स्वरूप में सामने आता है। सबके अपने तर्क, कसौटी और जीने के पैमाने हैं जो स्वाभाविक है, पर एक ईंसान बनने की प्राथमिक पैमाने पर हम विफल हो रहे हैं। सगल होकर देखने पर सब कुछ कितना पारदर्शी तरीके से दिखता है। कितने खराब स्वरूप में चीजें क्रमिक रूप से विकसित और वैध होती जा रही हैं। एक ईंसान के रूप में हमारे लिए यह सब स्वीकार कर पाना कठिन है, पर ठहर कर सोचने पर यह प्रश्न हमारा पीछा जरूर करता है कि क्या हम सचमुच ईंसान बनने की प्रक्रिया में भी हैं?

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

कमाई का बड़ा हिस्सा ले जा रही महंगाई; सब्जी, दाल, तेल की कीमतों ने बिगाड़ा त्योहार का जायका

परिवहन विशेष न्यूज

खाद्य महंगाई के प्रकोप ने त्योहारों का मजा भी किरकिरा कर रखा है। पिछले कुछ समय में खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। खासकर आलू टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों के भाव। दाल और खाद्य तेलों की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। इन सबकी कीमतें पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक चल रही है।

नई दिल्ली। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें निम्न आय वर्ग वालों के त्योहार का जायका खराब कर रही है। खाने-पीने की खरीदारी में अधिक खर्च होने से कम आय वाले उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी को टाल रहे हैं और इसका असर फास्ट फूडिंग कंज्यूमर गुड्स (एफएससीजी) की खरीदारी पर भी देखने को मिल सकता है।

त्योहार के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, घी, तेल जैसी वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल होता है और इन सबकी कीमतें पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक चल रही है। सब्जी के दाम तो पिछले साल की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक हो चुके हैं।

पिछले साल और इस साल अक्टूबर के थोक भाव

वस्तु	अक्टूबर 2023 (प्रति क्विंटल)	अक्टूबर 2024 (प्रति क्विंटल)
आलू	3,000 रुपये	3,400
प्याज	2,750 रुपये	4,500
टमाटर	2,400 रुपये	8,000



रुपये		
सरसों तेल	12,800 रुपये	
13,374 रुपये		
अरहर	9,392 रुपये	10,800
रुपये		
घी	61,500 रुपये	70,000
रुपये		
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर सितंबर में 9.24 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। मतलब पिछले साल सितंबर की तुलना में खाने-पीने की वस्तुएं 9.24 प्रतिशत महंगी हो चुकी हैं। इस साल अगस्त में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 5.66 प्रतिशत थी।		
कृषि वस्तुओं की रोजाना की थोक कीमतें		

दशाने वाली सरकारी साइट एजीमार्कनेट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर में प्याज की थोक कीमतों में 2000 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा चल रहा है। आलू के थोक दाम में प्रति प्रति 400 रुपए तो टमाटर में 5600 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी थी।

दाल की थोक कीमत भी पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल के अक्टूबर में 10 प्रतिशत का इजाफा है। अक्टूबर में विभिन्न प्रकार के गेहूं की औसत थोक कीमतों में 11-17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिख रही है। त्योहार में सरसों तेल और घी का भी अधिक इस्तेमाल होता है और इन दोनों की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं।

महंगाई से उपभोक्ता परेशान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में वर्ष 2022 अक्टूबर की तुलना में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। इस साल सितंबर में खाद्य तेल की कीमतें 2.5 प्रतिशत बढ़ी हुई हैं। दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है। दाल के दाम में पिछले साल अक्टूबर में ही 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी थी।

जानकारों का कहना है कि देश में 60 प्रतिशत से अधिक लोग प्रतिमाह सिर्फ 10-30 हजार रुपए तक कमाते हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान उनकी कमाई का अधिक हिस्सा खाने-पीने पर ही खर्च हो जा रहा है।

हंडई आईपीओ की शेयर मार्केट में कब होगी एंट्री, कितना मिल सकता है लिस्टिंग गेन?

हंडई मोटर इंडिया के आईपीओ की कल शेयर मार्केट में NSE और BSE पर लिस्टिंग हो सकती है। हंडई के आईपीओ की काफी चर्चा थी लेकिन इसे निवेशकों का वैसा रिसॉन्स मिला नहीं। रितेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा महज 50 फीसदी सब्सक्राइब हुआ। इसके जीएमपी में भी लगातार गिरावट देखी गई। आइए जानते हैं कि हंडई आईपीओ को निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली।

नई दिल्ली। देश के बहुचर्चित हंडई मोटर इंडिया के आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024 को होगी। पिछले कुछ ही दिनों के भीतर इस आईपीओ ने भारी उतार-चढ़ाव देखा है। इसे लेकर शुरुआत में निवेशक काफी उत्साहित थे, क्योंकि करीब दो दशक बाद कोई ऑटो मेकर आईपीओ लाकर शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही थी। आखिरी दफा मार्केट चुचुकी आईपीओ लाई थी, वो भी 2003 में।

हंडई मोटर इंडिया के इश्यू को देश का सबसे बड़ा आईपीओ बताकर जोरशोर से प्रचारित किया गया। लेकिन, आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने पर निवेशकों ने अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। खासकर, रितेल इन्वेस्टर्स ने। उनके लिए रिजर्व हिस्सा महज 50 फीसदी ही सब्सक्राइब हुआ। हालांकि, आखिरी दिन तक यह पब्लिक इश्यू ओवरऑल 2.37 गुना भर गया।

Hyundai IPO का लेटेस्ट GMP

हंडई आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शुरुआत में काफी अच्छा रिसॉन्स मिला था। लेकिन, फिर वह एकाएक क्रैश हो गया। एक वक्त तो हंडई आईपीओ का जीएमपी नेगेटिव में चला गया था। हालांकि, अब इसने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई है। हंडई आईपीओ की लेटेस्ट जीएमपी 95 रुपये है, जो 4.85 फीसदी लिस्टिंग गेन का संकेत दे रही है। इसके आईपीओ पर सबसे अधिक 585 रुपये तक जीएमपी गया था।

ग्रे मार्केट एक अन-ऑफिशियल मार्केट है, जहां लिस्टिंग से पहले शेयर का कारोबार होता है। ग्रे मार्केट की स्थिति लगातार बदलती रहती है। इसके आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि किसी कंपनी के शेयर की डिमांड कैसी है। हालांकि, एक्सपर्ट्स जोर देते हैं कि किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके जीएमपी से अधिक फंडामेंटल पर गौर करना चाहिए।

हंडई IPO को फीका रिसॉन्स क्यों

हंडई के आईपीओ में ज्यादातर निवेशक शुरू से ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसकी बड़ी वजह थी आईपीओ का पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होना। इसका मतलब कि आईपीओ से मिलने वाले पूरे पैसे प्रमोटर को मिलेंगे और उसे हंडई मोटर इंडिया के कामकाज को बेहतर करने के लिए निवेश नहीं किया जाएगा।

नोएल कब लाएंगे टाटा संस का आईपीओ, RBI के आदेश के बाद भी क्यों हो रही देरी?

परिवहन विशेष न्यूज

रिजर्व बैंक का नियम है कि सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट होना ही होगा। आरबीआई ने इसकी डेडलाइन सितंबर 2025 तय की थी। उस वक्त करीब 15 कंपनियों की लिस्ट भी जारी की गई थी जिन्हें शेयर बाजार में लिस्ट होना था। उनमें से कई कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। लेकिन टाटा संस इस मामले में आरबीआई से राहत की मांग की जा चुका है।

नई दिल्ली। अपने चचेरे भाई रतन टाटा के देहांत के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का चेयरमैन बना दिया गया है। माना जाता है कि टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन ही टाटा ग्रुप का मार्गदर्शन करता है। नोएल टाटा के ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनते ही देश के कॉर्पोरेट संसार में उनसे एक उम्मीद लगानी शुरू कर दी है। इसके अलावा नोएल टाटा से एक अपेक्षा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डी स्कूल) को भी है।

टाटा संस के शेयर किसके पास

नोएल टाटा से उम्मीद यह की जा रही है कि वे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस का प्रारंभिक सार्वजनिक पेशाकर (आईपीओ) लाने का रास्ता साफ करेंगे। टाटा संस के अधिकांश शेयर टाटा ट्रस्ट्स के पास हैं। टाटा ट्रस्ट्स के ही अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपेक्षा रहती है कि बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सार्वजनिक होनी चाहिए। मतलब उनका बाजार में आईपीओ आना चाहिए।

आरबीआई के नियमों के तहत सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट होना ही होगा। इसकी डेडलाइन सितंबर 2025 तय की गई थी। ऐसी करीब 15 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें कई कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। वहीं जो कंपनियां लिस्ट नहीं हुई हैं, उनमें टाटा संस का भी नाम शामिल है। टाटा संस की ओर से इस मामले में आरबीआई से राहत की मांग की जा चुकी है।



हितों का टकराव

दरअसल कहने वाले कहते हैं वेणु श्रीनिवासन आरबीआई और टाटा संस दोनों के बोर्ड हैं। इसलिए ये सारा मामला हितों के टकराव से संबंधित है। श्रीनिवासन को 14 जून, 2022 को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक मंडल में चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। वे टीवीएस मोटर्स के भी चेयरमैन रहे हैं। उनकी भारत के कॉरपोरेट जगत में बहुत ऊंचा कद है।

नियमों को मानने वाले नोएल

आरबीआई की इसी तरह की उम्मीद टाटा संस से भी थी कि वह आईपीओ लाएंगी। पर यह हो ना सका। अब इस बात की उम्मीद बन रही है क्योंकि टाटा ट्रस्ट की कमान अब नोएल टाटा के पास है। उनके लिए कहा जाता है कि वे नियमों के अनुसार ही चलते हैं। शेयर बाजार पर नजर रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट राजन धवन मानते हैं कि टाटा संस का अभी तक आईपीओ ना आना टाटा समूह के लिए कोई गर्व की बात नहीं है। यह तो कायदे से रतन टाटा के समय ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि आरबीआई के नियम टाटा संस पर भी लागू होते हैं।

क्या होगा टाटा संस की लिस्टिंग

पर

टाटा संस की जब भी लिस्टिंग होगी तो उसको लेकर देश के लाखों शेयर बाजार में निवेश करने वाले सामने आएंगे। इससे टाटा संस को तो लाभ होगा ही। टाटा संस के शेयर जिन्हें भी मिलेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा ही। टाटा संस में 5 फीसद हिस्सेदारी बेचने से 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाए जा सकते हैं, जो टाटा समूह की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इस राशि के मिलने से टाटा समूह को अपनी आगे की योजनाओं को पूरा करने में पूंजी की कमी नहीं होगी।

दरअसल नोएल टाटा को अपनी क्षमताओं को दिखाएँ का मौका पहली बार मिल रहा है। अब वे टाटा संस के आईपीओ को लाने के साथ अपनी नई पारी को धमाकेदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। यह हैरानी की बात है कि टाटा संस अब तक आईपीओ नहीं ला सकी। हालांकि उसे रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक आईपीओ ले आना चाहिए था।

डी स्कूल को मदद की दरकार

नोएल टाटा से एक उम्मीद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डी स्कूल) को भी है। यहां की रतन टाटा लाइब्रेरी स्थापित हुई थी टाटा समूह के उदार आर्थिक सहयोग से ही। यह बात 1949 की है। इसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ज्योग्राफी में अध्ययन और अनुसंधान के लिए आदर्श लाइब्रेरी माना जाता है। यहां पर बैठकर अध्ययन किया है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी। वे डी स्कूल में 1970 के दशक के आरंभ में पढ़ाते थे।

डी. स्कूल के डायरेक्टर और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. राम सिंह ने बताया कि टाटा समूह रतन टाटा लाइब्रेरी को दिल खोलकर सहयोग करता था। हालांकि अब उसकी तरफ स कोई मदद नहीं मिल रही। नोएल टाटा को देखना होगा कि टाटा समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे श्रेष्ठ संस्थान को आर्थिक मदद देता रहे। अब नोएल टाटा पर सारे देश की नजरें रहेंगी कि वे किस तरह से जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित अपने उद्योग समूह का नेतृत्व करते हैं।

वैकसीन के बाद अब फिल्में भी बनाएंगे अदार पूनावाला, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में खरीदी आधी हिस्सेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

करण जौहर लंबे समय से धर्मा प्रोडक्शंस के लिए निवेशक तलाश रहे थे। उन्होंने संजीव गोयनका के अगुआई वाले सारेगामा (Saregama) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा (Jio Cinema) से भी बात की लेकिन मामला बना नहीं। अब वैकसीन किंग अदार पूनावाला के साथ उनकी डील हो गई है। आइए जानते हैं कि करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी क्यों बेची।

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की आधी हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सेदारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SIIL) के सीईओ और दिग्गज कारोबारी अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने खरीदी है। करण जौहर और अदार पूनावाला के बीच सौदा 1000 करोड़ रुपये में हुआ है।

जियो सिनेमा और सारेगामा से भी हुई थी चर्चा



अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) की सेरेन प्रोडक्शंस करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में 1,000 करोड़ रुपये में 50 फीसदी हिस्सेदारी लेगी। इस सौदे में फिल्म एंड टेलिविजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की वैल्यूएशन करीब 2000 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, कंपनी में आधी हिस्सेदारी धर्मा प्रोडक्शंस के पास ही रहेगी और करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे।

Karan Johar पिछले कुछ समय से हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में लगे थे। इस सिलसिले में धर्मा प्रोडक्शंस की बात संजीव गोयनका के अगुआई वाले सारेगामा (Saregama) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा (Jio Cinema) से भी हुई। लेकिन, आखिर में बात बनी अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) के साथ।

धर्मा प्रोडक्शंस देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस में से एक है। करण जौहर मेरे दोस्त हैं और उनके साथ साझेदारी करके मैं खुश

हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों धर्मा प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

कई यादगार फिल्में दे चुका है धर्मा प्रोडक्शंस

धर्मा प्रोडक्शंस की बुनियाद करण जौहर के पिता और दिवंगत निर्माता यश जौहर ने रखी थी, साल 1976 में। उन्होंने इस बैनर के तले अग्निपथ, दोस्ताना (दोनों पुरानी) और गुमराह जैसी कल्ट फिल्में प्रोड्यूस कीं। करण जौहर 'कभी खुशी कभी गम', 'ये जवानी है दीवानी', 'कुछ कुछ होता है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में के साथ अपने प्रोडक्शन हाउस को नए मुकाम पर ले गए। इस प्रोडक्शन हाउस ने 50 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया है।

साल 2018 में धर्मा प्रोडक्शंस ने धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के साथ डिजिटल कंटेंट में कदम रखा था। उसने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मर्स के लिए कई शो का निर्माण भी किया।

मेरे पिता ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ऐसी फिल्में बनाने का सपना देखा था, जो समाज पर

स्थायी प्रभाव छोड़ें। मैं अपना करियर उसी नजरिए को आगे बढ़ाने में लगा दिया। अब हमें एक करीबी दोस्त के रूप में अदार पूनावाला का साथ मिला है, तो हम धर्मा की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

धर्मा प्रोडक्शंस की वित्तीय सेहत कैसी है?

धर्मा प्रोडक्शंस की वित्तीय चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। इसकी पिछले फिल्मों को भी पहले की तरह सफलता नहीं मिली। धर्मा प्रोडक्शंस का कंसाॅलिडेटेड रेवेन्यू वित्त वर्ष 2022-23 में 1,040 करोड़ रुपये था। यह वित्त वर्ष 24 में 50.75 फीसदी घटकर 512.2 करोड़ रुपये पर आ गया। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और बैंक्स ऑफिस कलेक्शन से कमाई लगातार घट रही है। सिर्फ म्यूजिक से रेवेन्यू में थोड़ा इजाफा हुआ है।

शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 23 में 10.6 करोड़ रुपये से घटकर 59 लाख रुपये रह गया। इसके उलट कलाकार और तकनीशियन पारिश्रमिक 4.44 प्रतिशत बढ़कर 142.35 करोड़ रुपये हो गया।

विमान में बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त, सिर्फ बैन ही नहीं; जुर्माना और सजा भी मिलेगी

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की झूठी कॉल के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हम इस बारे में कानूनी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम झूठी कॉल करने वालों की पहचान करके उन्हें नो फ्लाईंग लिस्ट में डालेंगे। वहीं विमानन कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई आरोपियों से करवाना चाहती हैं।

नई दिल्ली। पिछले एक हफ्ते में करीब 100 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें से सभी फर्जी थीं और इनके चलते उड़ान में काफी देरी हुई। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उसका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन, इस तरह का फर्जी कॉल करके पैनिक क्रिएट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे।

भले ही ये धमकियां झूठी साबित हुई हों, लेकिन हमारा विभाग और एयरलाइंस सख्त प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। इस तरह की धमकियों से मामला काफी संवेदनशील हो जाता है। फिर एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका हमें पालन करना होता है। ऐसे फोन कॉल करने वालों को नो-फ्लाई सूची में डालने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

राम मोहन नायडू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री

नायडू ने यह भी बताया कि फोन कॉल आने की शुरुआत के बाद से हितधारकों के साथ कई बैठकें की गई हैं। अब विमान (सुरक्षा) नियमों में संशोधन पर विचार हो रहा है। इसका मकसद इस तरह की धमकियां देने वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें नो-फ्लाई लिस्ट में डालना है। इस तरह की फर्जी धमकियों की बाढ़ आ गई है। 19 अक्टूबर को तो 24 घंटे के भीतर 11 विमानों में बम होने की धमकी मिली थी।

एक्शन मोड में सरकार

राम मोहन नायडू के मुताबिक, सरकार SUASCA एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके बारे में दूसरे मंत्रालयों के साथ

भी चर्चा हो रही है। सरकार इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना चाहती चाहती है। उन्होंने कहा कि हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हमारा पूरा ध्यान स्थिति का आकलन करने पर क्योंकि यह बहुत ही नाजुक मसला है।

विमानों में बम की हॉक्स कॉल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह सचिव ने सीआईएसएफ के DG और BCAS के DG से श्रेट कॉल पर पूरी जानकारी ली। मीटिंग में BCAS DG और CISF ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकतर श्रेट कॉल्स विदेशों से आ रही हैं।

एयरलाइंस का क्या कहना है?

विमान कंपनियां बम की धमकी वाले फर्जी फोन कॉल से काफी परेशान हैं। इससे फ्लाइट में काफी डिले होता है और यात्रियों को भी असुविधा होती है। यही वजह है कि एयरलाइंस भी इस तरह के फोन कॉल से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत कर रही हैं। उनका यह भी सुझाव है कि फर्जी बम धमकियों के कारण उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जानी चाहिए।

भी चर्चा हो रही है। सरकार इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना चाहती चाहती है। उन्होंने कहा कि हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हमारा पूरा ध्यान स्थिति का आकलन करने पर क्योंकि यह बहुत ही नाजुक मसला है।

विमानों में बम की हॉक्स कॉल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह सचिव ने सीआईएसएफ के DG और BCAS के DG से श्रेट कॉल पर पूरी जानकारी ली। मीटिंग में BCAS DG और CISF ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकतर श्रेट कॉल्स विदेशों से आ रही हैं।

एयरलाइंस का क्या कहना है?

विमान कंपनियां बम की धमकी वाले फर्जी फोन कॉल से काफी परेशान हैं। इससे फ्लाइट में काफी डिले होता है और यात्रियों को भी असुविधा होती है। यही वजह है कि एयरलाइंस भी इस तरह के फोन कॉल से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत कर रही हैं। उनका यह भी सुझाव है कि फर्जी बम धमकियों के कारण उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जानी चाहिए।



